

o5kkfud y5kk ijh{k d k ifronu

I esdr fo5k; foj .k5ij ifronu

1. हमने म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी लि. (एतदपश्चात् "धारण कम्पनी" के रूप में जानी गई) और इसकी सहायक कम्पनी (धारण कम्पनी) और इसकी सहायक कम्पनियाँ "समूह" का निर्माण करती हैं) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की जिसमें 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये समेकित तुलन पत्रक, समेकित लाभ हानि खाता एवं समेकित नगद प्रवाह विवरण तथा प्रचलित लेखांकन पद्धतियों और अन्य स्पष्टीकरण जानकारीयों का सारांश (एतदपश्चात् 'समेकित वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) शामिल है।

I esdr fo5k; foj .k5adsfy, i caku dh ftEenkhj

2. धारण कम्पनी का संचालक मण्डल कम्पनी अधिनियम 2013 (इसके पश्चात् 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की आवश्यकताओं के अनुरूप इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो कम्पनी (लेखा) की धारा 133 में संदर्भित लेखांकन मानकों के अनुरूप "समूह और इसमें शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित उद्यमों" की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नगद प्रवाह को सत्य और उचित रूप में दर्शाते हों तथा भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हों। इसमें समूह की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी या त्रुटि की रोकथाम करने, ऐसे निर्णय और अनुमान लगाने जो जिम्मेदार और विवेकपूर्ण हों, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्माण, निष्पादन और रख रखाव करने, जो लेखांकन अभिलेखों की प्रभावशीलता, पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हों। अधिनियम के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखना शामिल है, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रदर्शन में प्रासंगिक हों और इसका सत्य और उचित चित्र प्रस्तुत करते हों एवं सामग्री की गलतबयानी, चाहे वह गलती या धोखाधड़ी किसी भी प्रकार हो, से मुक्त हों।

y5kk ijh{k d k dh ftEenkhj

3. हमारी जिम्मेदारी इन वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने की है।
4. हमने अपने लेखा परीक्षण में अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखा परीक्षण मानकों और धारा 143 (II) कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के एवं अनुक्रम अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखा परीक्षक प्रतिवेदन में शामिल किये जाने के लिए आवश्यक मामलों को लिया है।
5. हमने अपना लेखा परीक्षण कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) और में अंकेक्षण पर जारी मानकों के अनुरूप किया है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का परिपालन करें तथा वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त है, इस बारे में पर्याप्त आश्वस्त होने हेतु अंकेक्षण की आयोजना और निष्पादन करें।
6. अंकेक्षण में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों को प्राप्त करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रिया लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर करती है, वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलतबयानी चाहे वह गलती या धोखाधड़ी द्वारा हो, से संबंधित जोखिम के मूल्यांकन सहित। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक कम्पनी के वित्तीय विवरणों से सत्य और उचित दृश्य प्रकट करने के लिये प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार अंकेक्षण प्रक्रिया की संरचना करता है। अंकेक्षण में प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन पद्धतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता के साथ ही वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रदर्शन की परीक्षा शामिल होती है।
7. हम विश्वास करते हैं कि जो अंकेक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किये हैं वे स्टैण्ड अलोन वित्तीय विवरण पर हमारे विशेषित अंकेक्षण अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित और उपयुक्त हैं।

fo'k'kr vfilker dsvk/kj %

8. वित्तीय विवरणों में कई स्थानों पर योग को पूर्णांकित करते समय त्रुटियाँ हुई जिसकी वजह से 'इक्रीटी और देयताओं' तथा "आस्तियों" के कुल योग का मिलान नहीं हो सका। इसके अलावा इस पहलू को उचित खुलासा नहीं किया गया है।
9. कंपनी द्वारा भंडार में माल, पुर्जों और शिथिल उपकरणों का आंकलन भारत और आसत लागत के आधार पर किया जा रहा है (लेखांकन नीति स. 7.1 में उल्लेखित) बजाय लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर जो लेखा मानक-2 (AS-2) "माल का मूल्यांकन" में उल्लेखित है। जिन्हें दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारा जारी किए गए हैं। प्रासंगिक जानकारी के गैर प्रस्तुत की वजह से लेख मानक-2 (AS-2) के गैर अनुपालन के प्रभाव का पता लगाना संभव नहीं है।
10. असाधारण मद (शुद्ध) आय . रु 16331.69 लाख
कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान रु. 16331.69 लाख की राशि एम.पी.पा.ट्रांस.कं.लि. जबलपुर को अब देय न होने के कारण "व्हीलिंग चार्ज का दायित्व - एम.पी. पा.ट्रांस.कं.लि." वापिस लिखा गया। इस प्रकार लेनदेन पिछले तीन वर्षों के दौरान भी हुए हैं। अतः इस तरह के लेनदेन, अक्सर आवर्ती दिया, उद्यम का सामान्य गतिविधियों से पैदान नहीं है, कहां नहीं जा सकता है। इस के बावजूद, कंपनी 'असाधारण मद' जो लेख मानक-5 (AS-5) "शुद्ध लाभ या हानि या अवधि के हानि, पूर्व अवधि आइटम और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन" ICAI द्वारा जारी के अनुसार नहीं है हालांकि कंपनी के नुकसान/हानि का कोई प्रभाव नहीं है।
11. कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार (संदर्भ: लेखा नीति स. 12.2 और 12.4) पूंजी अनुदान एवं उपभोक्ता अनुदान को पूंजी प्राप्ति माना गया है और पूंजी रिजर्व खाते में जमा है तथा इसको परिसंपत्तियों की उपयोगी जीवन तक लाभ और हानि खाते में परिशोधित कर रहे हैं। तदनुसार वर्ष के दौरान रु. 8508.05 लाख की राशि, मूल्यहास के बराबर वर्ष 2015-16 तक अचल संपत्ति में लिया गया जिसे अनुदान और उपभोक्ता योगदान मद से बनाया गया, तथा उक्त राशि को लाभ और हानि खाते में जमा कर दिया गया। (संदर्भ नोट स. 2.2) यह लेखा मानक-12 (AS-12) सरकार के अनुदान के लिए लेखांकन ICAI द्वारा जारी के

अनुसार नहीं है, हालांकि कंपनी के नुकसान पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है।

12. कंपनी बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांकित 19.02.2010 (संदर्भ नोट सं. 2.32.2) के अनुसार उत्तर रोजगार के लाभ प्रदान किए जो लेखा मानक-15 (AS-15) 'कर्मचारी लाभ' ICAI द्वारा जारी किए गए के अनुसार नहीं है। AS-15 के अनुसार परिभाषिक लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का बीमांकिक मूल्यांकन तीन वर्ष के अंतराल में किया जाना चाहिए। हालांकि, बीमांकिक मूल्यांकन वर्ष 2009-10 में किया गया था एवं समय बीतने के साथ आए बदलाव एवं कई अन्य मान्यताओं के रूप में दायित्व की यथार्थवादी अनुमान नहीं देते। वर्ष 2015-16 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के अभाव में, 'परिभाषित लाभ दायित्वों' मद में अंकित राशि रु. 18616.32 लाख पर - कर्मचारी लागत की सच्चाई पर टिप्पणी करने में असमर्थ है।
13. कंपनी द्वारा गारंटी शुल्क परिशोधित है जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई गारंटी के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य सरकार को देय भुगतान, जो एक विशेष परियोजना के वित्त पोषण के प्रति वित्तीय संस्था से कंपनी द्वारा लिए गई लंबी अवधि के फंड की अदायगी सुरक्षित करने के लिए, ऋण की अवधि के दौरान मासिक आधार पर (जो लंबी अवधि के रूप में विशिष्ट परियोजना की अवधि की तुलना में हो सकता है, अर्थात् वित्त पोषण के लिए जो किया गया था), प्रथम दो वर्षों के लिए पूंजीकरण करना एवं उसके बाद ऋण की अवधि के दौरान लाभ और हानि द्वारा हमारी राय में गारंटी शुल्क भुगतान / देय है, उपरोक्तानुसार यह लागत है जो ऋण लेने की व्यवस्था के लिए किया गया है और उसके बिना अर्थात् बिना गारंटी म.प्र. शासन द्वारा दिए गए, कंपनी को फंड नहीं मिला होता इन विशेष परियोजना के कार्यान्वयन के लिए। दूसरे शब्दों में, उधार लेने और विशेष योग्यता परिसंपत्ति के बीच सीधा संबंध स्थापित है। इसलिए यह लागत सीधे अधिग्रहण, निर्माण या एक योग्यता परिसंपत्ति के उत्पादन के कारण है अर्थात् परियोजना और इसलिए यह सीधे पूंजीकृत होना चाहिए, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में है, जो आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी किए गए लेखा मानक-16 "उधार लेने की लागत" अर्थात् कार्यशील पूंजी को डेबिट करना बजाय ऋण की अवधि में प्रत्युत्सर्जन करना। लेखा मानक-16 के अनुसार गारंटी शुल्क के लेखों में कार्यशील पूंजी को कम आकलन किया गया जबकि कंपनी की हानि को रु. 729.33 लाख से ज्यादा आंकलित किया गया।
14. कंपनी द्वारा मार्च 2016 की स्थिति में अपने किसी भी तकनीकी आर्थिक आंकलन के संबंध में पर्याप्त उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे क्षीणता हानि, यदि कोई है की पहचान की जा सके और यदि आवश्यक है तो अप्रचलन के लिए प्रावधान बनाए जाए। जो लेखा मानक-28 (ए.एस.-28) में गैर अनुपालन के प्रभाव को पता नहीं लगाया जा सका है।
15. कंपनी द्वारा लेखा मानक-29 (AS-29) प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों का पालन नहीं किया गया है। AS-29 के गैर अनुपालन के प्रभाव प्रासंगिक जानकारी के गैर प्रस्तुत करने के कारण पता नहीं है। इसके अलावा समय पर पूरी जानकारी के गैर प्रस्तुत की वजह से हम राशि रु. 1 करोड़ से अधिक 'आकस्मिक देयताएं' मद की जांच एवं सत्यापित नहीं कर पाए।
16. उपरोक्त पैरा 09 से 15 लेखा मानकों के गैर अनुपालन के संबंध में है जो अधिनियम की धारा 129(1) और 129 (5) का गैर अनुपालन है। जिसके अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण लेखा मानकों का अनुपालन करेगा। और जहां कंपनी के वित्तीय विवरण लेखा मानकों का पालन नहीं करते, वहां कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण में लेखा मानकों से विचलन का खुलासा किया जाता है, तथा विचलन का कारण एवं वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, जो इस तरह के विचलन से उत्पन्न है। इस तरह के खुलासे नहीं किए गए हैं।
17. कंपनी द्वारा बीमा के विभिन्न प्रकार के लिए संशय बनाया है अर्थात् निर्धारित संशय (जमा शेष रु. 11004.09 लाख) हालांकि कोई तत्स्थानी निवेश नहीं पाया गया है जो यह सुनिश्चित करे कि धन निर्धारित उद्देश्य के लिए उपलब्ध है/ निर्धारित आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए है।
18. कंपनी के मद दीर्घावधि में रु. 1197233.04 लाख (संदर्भ टीप सं. 2.4) के अंतर्गत उचित खुलासे नहीं किया है जो अधिनियम की अनुसूची-III द्वारा अपेक्षित है अर्थात् :-
 - (क) म.प्र. शासन से प्राप्त ऋण एडीबी के माध्यम से :- कुल मिलाकर रु. 88400.97 लाख जबकि सात मामलों में पुनः भुगतान की शर्तों खुलासा करते हुए इन्हें एक साथ रखा गया है, जो गत वर्ष के विपरीत है, अपितु पुनः भुगतान की शर्तें विभिन्न होने के बावजूद।
 - (ख) इसी तरह 'असुरक्षित ऋण' के अंतर्गत भुगतान की शर्तों का खुलासा दो मामलों में किया गया अर्थात् आरईसी से मध्यावधि ऋण राशि रु. 14583.33 लाख तथा म.प्र. शासन से कार्यशील पूंजी ऋण राशि रु. 37,540.13 लाख, अतः कुल राशि रु. 52123.46 लाख। पिछले वर्ष के संबंध में भुगतान के विवरणों का सही तरीके से खुलासा नहीं किया गया है।
 - (स) असुरक्षित ऋण राशि रु. 1097335.96 लाख में अन्य मद भी शामिल है जिसके संबंध में न तो राशि और न ही पुनः भुगतान की शर्तों के संबंध में खुलासा किया गया है।
 - (घ) तुलन पत्र की तिथि पर अवधि एवं सतत चूक की राशि को ऋण की अदायगी तथा ब्याज को प्रत्येक मामले में अलग से निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
19. संपूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने के कारा इसके संबंध में हम निम्नलिखित खातों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए खातों और वित्तीय वक्तव्यों पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है :-
 - (अ) व्यापार भुगतान करने वाले (संदर्भ नोट सं. 2.8)

यू.पी.एस.ई.बी. से 334.17 लाख रुपये की बिजली खरीद के लिए बकाया राशि।
 - (ब) अन्य चालू दायित्व (संदर्भ नोट सं. 2.9)

रु. 400.31 लाख की अन्य देनदारियां
 - (स) अन्य चालू संपत्ति (संदर्भ नोट सं. 2.20)

रु. 241.17 लाख राशि की सीमा तक अन्य प्राप्त, जो कि 'राशि लंबित जांच-प्रधान कार्यालय लेनदेन' का कुल रु. 204.83 लाख की राशि है, पक्षों से वसूल योग्य व्यय राशि रु.0.90 लाख है 'सामग्री के नुकसान/क्षति के लिए दावा-रेल्वे राशि रु. 4.44 लाख, "सामग्री के नुकसान/क्षति के लिए दावा-अन्य-बोर्ड कर्मचारी- राशि रु. 2.97 लाख।

20- vpy l í flk &erZ : - 384184-01 yk[k

(अ) पिछले साल तक कंपनी को रु. 9488.46 लाख रु. की नकारात्मक(निगेटिव)/अचल संपत्तियां मिली थी, जिसके खिलाफ रु. 4478.30 लाख रु. की नकारात्मक (निगेटिव) संचित अवमूल्यन था। हालांकि पिछले वर्ष के दौरान इन परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से और समायोजित मूल्यहास से समायोजित किया गया था ताकि निश्चित परिसंपत्तियों का शुद्ध मूल्य है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के तहत नकारात्मक अचल संपत्तियों को इसी समूह की मौजूदा परिसंपत्तियों से समायोजित किया गया है, इसके जमा मूल्यहास के साथ (संदर्भ नोट सं. 2.32.6)। हालांकि, इन समायोजन की जांच के दौरान, परीक्षण की जांच के आधार पर यह पाया गया है कि कुछ मामलों में नकारात्मक अचल संपत्ति को संपत्ति के एक ही समूह के खिलाफ समायोजित किया गया है और मूल्यहास की गुणना उस समूह की संपत्तियों के शुद्ध शेष पर की गई (यानि सकारात्मक शेष वाले परिसंपत्तियों का समूह से से घटाए नकारात्मक शेष परिसंपत्तियां) परिणामी संपत्ति के उस समूह पर मूल्यहास गलत तरीके से की गई है अर्थात नकारात्मक तय परिसंपत्ति पर मूल्यहास दर की सीमा तक की कम गणना की गई है। इसके परिणामस्वरूप 'मूल्यहास' को न्यूनोक्ति दर्शाया गया और परिणामस्वरूप कंपनी की हानि साथ-साथ को संचित मूल्यहास को कहीं राशि से न्यून दर्शित किया गया। हालांकि, कंपनी के वित्तीय मामलों पर कुल असर का पता नहीं लगाया जा सकता। क्योंकि उसके संबंध में पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

इसके अलावा हमारी राय में अचल संपत्तियों और इसके संचित मूल्यहास, इसकी प्रकृति के अनुसार, कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकती है और इस प्रकार यह उचित सांमजस्य का विषय है, इसलिए हम रु. 9488.46 लाख की उपरोक्त नकारात्मक अचल संपत्ति पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, जिसके विरुद्ध जमा मूल्यहास, नकारात्मक में, राशि रु. 4478.70 लाख

(ब) कंपनी ने वर्ष के दौरान किए गए कुल ब्याज के अचल संपत्ति के साथ-साथ मौजूदा परिसंपत्तियों और पंजी कार्यशील आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम सहित के अनुपात में विभाजित किया गया है।

जबकि लंबी अवधि के ऋण विशेषतः विशिष्ट परियोजनाओं के कायौन्वयन के लिए ले जाया गया केपिटल कार्य के रूप में काम करता है और न कि कार्यशील पूंजी के रूप में, ऐसी परियोजनाओं पर ऋण पर देय ब्याज भुगतान लागत, सीधे अधिग्रहण, निर्माण या एक योग्य परिसंपत्ति के उत्पादन के कारण है, से संबंधित है, और इसलिए आज दिनांक तक ब्याज लागत जब परियोजना का उपयोग करने के लिए रखा जाता है, पंजीकृत किया जाना चाहिए था। सीधी संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में AS-16 में परिकल्पित किया है। अर्थात पूंजी कार्यशील में विभाजित करना। इससे पूंजीकृत खर्च कम दर्शाए गए और "अचल संपत्ति-मूत" / "पंजी कार्यशील" और अधिक ब्याज चै-से चार्ज की गई, फलस्वरूप कंपनी का नुकसान वर्ष के लिए इस राशि से अतिरंजित है। हालांकि पूरी जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, नुकसान के प्रभाव का तथा 'अचल संपत्ति -मूर्त' / "पूंजी कार्यशील" पर प्रभाव का पता नहीं कर सके।

21- dk; Zkhy i at h - : - 111557-03 yk[k

(अ) उपरोक्त निम्नलिखित मदों को मिलान कराने के बाद आये है (अर्थात जमा शेष होने पर), जिसके संबंध में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई :-

da	fooj .k	'ksk 31-03-2016
1	बिल्डिंग युक्त ट्रांसमिशन	0.35
2	33/0.4 के.व्ही. बाहय उपकेन्द्र	4.15
3	11/0.4 के.व्ही. उपकेन्द्र	78.78
4	कम्प्यूटर सिस्टम-यू.पी.एस.	185.87
5	नेटवर्किंग उपकरण-रूटर	166.86
6	स्टोर बैंक अप डिवाइस	0.05
7	आंतरिक वाइरिंग आंतरिक वाइरिंग	0.08
8	बिजली आपूर्ति के लिए अस्थायी कनेक्शन	107.60
9	स्ट्रीट लाइटिंग और सिग्नल सिस्टम	159.37
10	सिंगल प्वाइंट कनेक्शन झुग्गी झोपड़ियों म	207.80
11	ओवरहेड एल.टी. लाइन इन्सूलेटर	10.41
12	भूमिगत केबिल-22 के.व्ही. लाइन संरचनाएं	1.21
13	भूमिगत केबिल-22 के.व्ही. लाइन संयुक्त किट	4.26
14	भूमिगत केबिल-22 के.व्ही. लाइन केवल	24.97
15	भूमिगत केबिल-11 के.व्ही. लाइन-केवल	15.76
16	फैक्स मशीन	20.88
17	अग्निशमक	0.06
18	फर्नीचर और फिक्स्चर और फिक्स्चर	11.42
	; kx	999-88

उपरोक्त जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, कुल मिलाकर राशि रु. 999.88 लाख, हम 'पूँजी कार्यशील' के साथ कंपनी की हानि पर परिणामी प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

- (ब) उपरोक्त में साफ्टवेयर्स के लिये रु./3064.69 शामिल है, जो कि ई आर पी पैकेज जिसे कंपनी द्वारा लागू किया गया है के लिये व्यय होने के कारण पूंजीकृत नहीं हुआ है और न ही कंपनी ने अपनी उपयोगी जीवनकाल पर परिसंपत्ति का परिशोधन कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसम्पत्ति-अमूर्त और कार्यशील प्रगति प्रत्येक को रु. 3064.69 लाख से अधिक दर्शाया गया है और परिणामस्वरूप मूल्यहास्य/परिशोधित राशि को कम दर्शाया गया है और कंपनी द्वारा सम्पूर्ण विवरण न देने के कारण हानि की राशि का निर्धारण नहीं हो सकता है।
- (स) उपयुक्त में निम्नलिखित खर्च शामिल है, जिन्हें अभी तक पूंजीकृत नहीं किया गया :-

Ø-	fooj.k	'ksk 31-03-2016 ¼ -yk[k e½
1	पूँजीकृत होने वाले व्यय- प्रतिबद्धता प्रभार	121.62
2	पी.वी. और जीआरएन अंतर	547.79
3	मरम्मत एवं रखरखाव खर्च	179.57
4	कर्मचारी लागत	3603.37
5	व्यवस्थापक और सामान्य लागत	0.05
6	राजस्व खर्च पुनः वर्गीकृत- निरीक्षण और परामर्श शुल्क	1081.77
7	ओवर हेड विलायरिंग	5282.76
8	सीडब्ल्यूआईपी/एसेट विलायरिंग अकाउंट श्रम और ओवरहेड के लिए	1200.62
	योग	8520.73

इसके परिणामस्वरूप कार्यशील को रु. 8520.73 लाख की राशि से अधिक दर्शाया और अचल सम्पत्ति-अमूर्त में इतनी ही राशि से कम दर्शाया गया और नतीजतन, मूल्यहास्य को कम दर्शाया गया और कंपनी द्वारा सम्पूर्ण विवरण न देने के कारण हानि की राशि का निर्धारण नहीं हो सकता है, जिसका अवमूल्यन की गणना पर असर होगा।

½2½nñ?kdkyhu J.k vjg vfxe&: - 68167-03 yk[k ¼ nñk& uk½ I a 2-13½

आरजीजीवीवाई योजना के तहत आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों के लिये पूंजीगत अग्रिम उप-शीर्ष में उपरोक्त रु. 786.51 लाख राशि की सीमा के ऋण शेष शामिल है, जिनके विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, इसलिये हम दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम के साथ-साथ कंपनी के

23- fuoskd: Rs.37259-90 iacs ¼ nñk& uk½ I a 2-16½

- (अ) माल रु. 24392.39 लाख उपरोक्त राशि को प्राप्त करने के लिए निम्न मदों की (जमा शेष होने के बाद) घटाए गए के संबंध हमारे लिए पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है :-

i)	ट्राजिट अकाउंट में सामग्री	-	रु. 1.04 लाख
ii)	उपभोक्ताओं के अलावा अन्य पार्टियों को ऋण पर जारी की गई सामग्री	-	रु. 16.69 लाख
iii)	मीटर सस्पेंस अकाउंट	-	रु. 1.53 लाख
iv)	सामग्री सस्पेंस अकाउंट	-	रु. 567.13 लाख
v)	ट्रांसफार्मर मरम्मत	-	रु. 4651.86 लाख
vi)	जले हुए ट्रांसफार्मर तेल का पुनः प्रसंस्करण	-	रु. 114.53 लाख
vii)	अतिरिक्त स्टाफ ट्रांसफार्मर लंबित जांच अतिरिक्त स्टाफ ट्रांसफार्मर लंबित जांच	-	रु. 9.47 लाख
	; lxx	&	: - 5362-25 yk[k

- (ब) ऊपर निम्नलिखित मदों जिनके संबंध संतोषजनक जानकारी हमारे लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है शामिल है :-

(i)	स्टॉक अतिरिक्त विचाराधीन जांच	रु. 225.44 लाख
(ii)	स्टॉक की कमी विचाराधीन जांच	रु. 127.19 लाख
(iii)	स्क्रैप लेनदेन के लिए नियंत्रण खाता	रु. 332.00 लाख
	; lxx	: - 684-63 yk[k

परिणामस्वरूप इसका 'माल' वर्तमान आस्तियों के माल-कंपनी की हानि पर परिणामी प्रभाव पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(स) उपरोक्त में शामिल प्राप्त इन्वेंटरी खाता यानि निरीक्षण के लिए लंबित सामग्री रु. 1955.48 लाख, जो स्टोर के रिकार्ड/लेजन के साथ मेल नहीं खाते हैं जिनके अनुसार यह राशि रु. 1949.69 लाख थी। इस प्रकार रु. 5.79 लाख रुपये का अंतर है जो सामंजस्य/सुधार के अधीन है। उपरोक्त में शामिल प्राप्त इन्वेंटरी खाता यानि निरीक्षण के लिए लंबित सामग्री रु. 1955.48 लाख, जो स्टोर के रिकार्ड/लेजन के साथ मेल नहीं खाते हैं जिनके अनुसार यह राशि रु. 1949.69 लाख थी। इस प्रकार रु. 5.79 लाख रुपये का अंतर है जो सामंजस्य/सुधार के अधीन है।

24. ढ; ki kj i kflr; ka : - 294892-76 yk[k (l nllk& uk/ l a2-17)

(अ) सवाधि देनदार-विद्युत बिक्री हेतु-एल.टी के रु. 277376.08 लाख (देनदार के विरुद्ध प्रावधान से पहले) में रु. 2522.56 लाख शामिल है, (मुख्यालय ट्रायल बैलेंस के अनुसार) जिनके बारे में हमें विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ब) उपरोक्त में जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), म.प्र.शासन से प्राप्त रु. 457.00 लाख शामिल है, जो मई 2013 से जुलाई 2013 तक की अवधि के लिये डब्ल्यूआरडी के कनेक्शन द्वारा खपत यूनिटों के लिये डब्ल्यूआरडी पर प्रस्तुत किये गये बिल के खिलाफ। चूंकि पुराने समय से लंबित मुद्दों को निपटान करने के लिये म.प्र. शासन द्वारा एक बार निपटान किया गया था, और प्राप्य से संबंधित 31.07.2013 तक का दावा और बिजली कंपनियों और डब्ल्यूआरडी के बीच देय, समझौते को पुनः खोलने की संभावना (पुराने लंबित मुद्दों और दावों को सुलझाने के लिये) और 457.00 लाख के दावे पर विचार कर रहा है जो 31.07.2013 तक दावों में शामिल नहीं किये जाने के कारण बहुत दूर प्रतीत हो रहे थे, इसलिये एक प्रावधान किया जाना चाहिये था। इसके गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य को रु. 457.00 लाख राशि से अधिक दर्शाया और कंपनी की हानि रु. 457.00 लाख से कम दर्शायी गई।

(स) उपरोक्त में निम्नलिखित प्राप्तियां शामिल है, जिन्हें बहुत पुराना माना गया है :-

सरकार से अन्य प्राप्य	रु. 116.63 लाख
बिजली बिक्री सब्सिडी डीआईआर इंडस्ट्रीज	रु. 72362 लाख
हरिजन बस्ती	रु. 32.62 लाख
अंतर-राज्य बिजली बिक्री	रु. 6.14 लाख

; lsk : - 277-71 yk[k

यह शेष राशि, जो कि रु. 277.71 लाख, जो प्रबंधन द्वारा असुरक्षित अच्छा माना जाता है, यह कंपनी के गठन से आगे ले जाने वाली शेष राशि है। ये शेष बहुत पुराना है और अब तक अचेतन है, इसके लिये प्रावधान किया जाना चाहिये। उसी के गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप "व्यापार प्राप्य" को रु. 277.71 लाख राशि से अधिक दर्शाया गया है और कंपनी भी हानि रु. 277.71 लाख राशि से कम दर्शायी गयी।

25. हम निम्नलिखित खातों "कैश एण्ड कैश समकक्ष" पर उसके संबंध में पूर्ण विवरण न देने के कारण कोई टिप्पणी नहीं कर सकते (संदर्भ नोट सं. 2.18) इसलिये खातों और वित्तीय वक्तव्यों पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। :-

(अ) बैंकों में शेष-चालू खाते बैंकों में शेष-चालू खाते	रु. 45175.38 लाख
(ब) ट्रांजिट में प्रेषण	रु. 561.82 लाख

उपरोक्त खातों में, अनियमितताओं के निम्न प्रकार के निरीक्षण किये गये हैं जिनके खिलाफ हमें कोई उचित स्पष्टीकरण/कारण नहीं दिया गया है।

(अ) बैंकों में शेष - बैंकों के साथ शेष राशि चालू खाते राशि रु. 45175.38 लाख, उपरोक्त निम्नलिखित मदों को मिलान के बाद आते हैं (अर्थात जमा शेष होने पर), जिसके संबंध में पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है :-

a. डाक टिकट हाथ में	रु. 210.59 लाख
b. चिपकने वाली डाक टिकट खाता	रु. 25.81 लाख
c. परिक्रामी निधि अधिकारियों के पास	रु. 10241.66 लाख
d. इलाहाबाद बैंक (संग्रह बैंक खाता)	रु. 0.08 लाख
e. म.प्र. सहकारी बैंक (संग्रह बैंक खाता)	रु. 19.16 लाख
f. पंजाब नेशनल बैंक संग्रह बैंक खाता	रु. 11.76 लाख
g. आर.ए.ओ. संग्रह खाता मुख्यालय 03 के अलावा	रु. 75.82 लाख
h. आर.ए.ओ. संग्रह खाता मुख्यालय 05 के अलावा	रु. 357.81 लाख
i. एसबीआई- एफ प्रभार	रु. 1667.48 लाख

; lsk : - 12610-17 yk[k

(ब) कंपनी द्वारा हस्तगत रोकड़ (चेक और ड्राफ्ट और राजस्व स्टैप सहित) रु. 1211.12 लाख राशि का अलग से खुलासा नहीं किया है और इसको 'बैंकों में शेष चालू खाते' के साथ मिला दिया गया है, जो कि अधिनियम की अनुसूची-3 के अनुसार नहीं है।

इसके अलावा हस्तगत रोकड़ (चेक और ड्राफ्ट और राजस्व स्टैप सहित) रु. 1211.12 लाख में नकारात्मक हस्तगत रोकड़ अर्थात डेबिट शेष राशि के बजाय क्रेडिट शेष जैसे जबलपुर आर.ए.ओ. - रु. 631.03 लाख, सागर आर.ए.ओ. - 352 लाख, रीवा आर.ए.ओ. - 249.97 लाख, आदि।

(स) कंपनी द्वारा "बैंक शेष- चालू खाता" के साथ निम्नलिखित खातों को शामिल/विलय किया है, जो लेखा के मूल सिद्धांतों के अनुसार नहीं है :-

परिक्रमी निधि अधिकारियों के पास रु. 10241.66 लाख (Cr)

अस्थायी/ अग्रिम कार्यालय के पास रु. 307.07 लाख (Dr)

परिक्रमी निधि इंस्ट्रूमेंट कार्यालय के पास रु. 213.62 लाख (Dr)

; **₹** : - 9720-70 yk[k (cr)

अधिकांश बैंक खातों में, पुस्तकों के अनुसार सतुलन, सुलह के लिए लिया गया, कंपनी के खाते की पुस्तकों के साथ समझौते में नहीं है।

26. अंतर इकाई देन के कारण तथा उसी के साथ मेल खाते के साथ-साथ पूर्ण विवरण के गैर प्रस्तुत करने के कारण, हम निम्नलिखित खातों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं :-

(i). अंतर इकाई सामग्री छिंदवाड़ा रु. 731.24 लाख (Dr)

(ii). मुख्यालय के लिये अंतर-इकाई खाता प्रेषण रु.2834.10 लाख (Dr)

(iii). अंतर इकाई खाता निधि मुख्यालय से हस्तांतरण रु.417.05 लाख (Cr)

(iv). अंतर इकाई खाता निधि मुख्यालय से लेनदेन रु.7916.10 लाख (Dr)

(v). अंतर इकाई खाता व्यक्तिगत रु.1.29 लाख

(vi). अंतर इकाई खाता दृ अन्य लेनदेन/समायोजन रु.5230.89 लाख (Cr)

(vii). अंतर इकाई खाता दृ अन्य लेनदेन सागर रु.5547.47 लाख (Cr)

(viii). इन्द्रा कंपनी प्राप्य और भुगतान खाता रु.4928.79 लाख (Cr)

(ix). अंतर संगठन देय/प्राप्त करने योग्य खाता सामग्री रु.506.13 लाख (Cr)

(x). अंतर इकाई खाता दृ मुख्यालय लेनदेन जबलपुर रु.11.66 लाख (Dr)

(xi). अंतर इकाई खाता, मुख्यालय लेनदेन सागर रु. 0.47 लाख (Cr)

; **₹** : - 5138-99 yk[k (cr)

इस पत्र की तिथि के अनुसार, कंपनी ने अभी भी उपरोक्त खाते/शेष राशि का मिलान नहीं किया है इसलिए खातों और वित्तीय वक्तव्यों परावित्तीय प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

27. **₹**; **₹**; **₹** : - 35087-94 yk[k ¼ nHk uk/ I a 2-23½

(अ) सीएडएजी ने 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर अधिनियम की धारा 143(6)(बी), 'अन्य आय' मद में रु. 41704.22 की राशि पर निम्नानुसार टिप्पणी की थी :-

(i) रु. 41704.22 लाख की 'अन्य आय' में रु. 37.84 लाख रु. की राशि शामिल थी जो आरजीजीव्हीवाय योजना के ऋण निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज है। चूंकि कंपनी आरजीजीव्हीवाय योजना के तहत उठाए गए ऋण पर ब्याज व्यय का भुगतान करती है, परियोजना के निष्पादन के दौरान अर्जित आकस्मिक आय को अपनी आय के रूप में जमा करने के बजाय योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य आय' और 'पूँजी कार्यशील' को रु. 37.84 लाख की राशि से अधिक दर्शाया गया तथा कंपनी की हानि का रु. 37.84 लाख की राशि से कम दर्शाया गया।

(ii) इसी तरह रु. 41704.22 "अन्य आय" की राशि में रु. 79.14 लाख की राशि शामिल है, जो कंपनी द्वारा मुनाई गई बैंक गारंटी की अस्थिर राशि पर ब्याज अर्जित है। चूंकि मामले निपटारे के लिए लंबित है और बैंक गारंटी लंबित निपटाने के भुगतान के लिए देयता प्रदान की गई है, इसलिए इन निधियों पर अर्जित ब्याज भी दायित्व के रूप में रखा जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप "अन्य आय" को रु. 79.14 लाख की राशि से ज्यादा दर्शाया गया है और "हानि तथा 'वर्तमान देयताएं'" की उसी हद तक कम दर्शाया गया है।

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अधीन, कंपनी के खातों में उपर्युक्त लाइनों पर कोई समायोजन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 'पूँजी कार्यशील' को रु. 37.84 लाख की राशि से ज्यादा दर्शाया गया और "चालू दायित्व" को रु. 79.14 लाख की राशि से कम दर्शाया गया।

आगे इस क्षेत्र में विवरण की गैर उपलब्धता के कारण हम पूर्वोक्त टिप्पणियों की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, और साथ ही 'अन्य आय/पूँजी कार्यशील' चालू दायित्व तथा कंपनी की हानि के लिए और वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा के अधीन प्रभव की मात्रा पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।

(ब) कंपनी द्वारा आरजी.जी.व्ही.वाय. योजना के निष्पादन के दौरान तीन प्रदर्शन बैंक गारंटी जब्त की गई राशि रु. 15595.89 लाख (पहले की अवधि से संबंधित रु. 8760.46 लाख सहित) को अपने स्वयं की आय के रूप में दर्शाया बजाए यह आय जो संयोग से इस योजना/परियोजना के निष्पादन के दौरान अर्जित की गई है, के रूप में यह तथ्य समर्पित है कि सभी व्यय आज दिनांक तक परियोजना शुरू करने के लिए अर्थात् ऋण जुटाने पर वित्त पोषण के प्रति खर्च, अतिरिक्त व्यय आदि योजना/परियोजना के पूरा होने पर, पूंजीकृत किए गए। इससे "अन्य आय और "अचल संपत्ति"/पूँजी कार्यशील" प्रत्येक में रु. 15595.89 लाख से अधिक आंकलन किया गया तथा इसी राशि के कंपनी की हानि का कम आंकलन किया गया।

28. प्रासंगिक विवरणों के गैर प्रस्तुत करने के कारण कंपनी के खातों और वित्तीय वक्तव्यों पर हम फेंचाइजी को अपनी औसत लागत से नीचे की खरीद के

प्रभाव की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, अगर है।

29. आकड़ों और दस्तावेजों को बनाए रखने के किसी भी प्रणाली के अभाव में हम अनुपालन सहित प्रकटीकरण आवश्यकताओं जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एम.एस.एम.ई.डी एक्ट) के प्रावधानों के अंतर्गत पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
30. विविध देनदार, विविध लेनदारों, अन्य प्राप्य और भुगतान, अस्थायी कनेक्शन और अन्य व्यक्तिगत खातों पुष्टि के अधीन है, मेल-मिलाप और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो इसके बारे में सम्पूर्ण विवरण की गैर-उपलब्धता के कारण इसके प्रमाण का आकलन नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त मामलों के परिणाम के रूप में, जिसमें अधिकांश मामलों में संबंधित पैराग्राफ में वर्णित कारणों के कारण कंपनी के वित्तीय पर प्रभाव का आकलन नहीं कर पाये, हम पूरी तरह से निर्धारित करने में असमर्थ थे जैसे चाहे समायोजन तुलन पत्र में आवश्यक है और संभवतः लाभ और हानि और नकदी प्रवाह विवरण के वक्तव्य को बनाने संबंधित तत्व।

fo'k'kr vfkkr

31. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, विशेषित अभिमत के लिये आधार पैराग्राफ में उल्लेखित विषय के प्रभाव को छोड़कर, कंपनी के वित्तीय विवरण 31 मार्च-2016 को और इसकी हानियां और नगद प्रवाह विवरण उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए, अधिनियम द्वारा यथापेक्षित जानकारी अपेक्षित रीति से प्रकट करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार सत्य तथा उचित स्थिति प्रकट करते हैं।

vll; o'k'kr v'k' fu; led vko'; drk'v'k' i'fronu %

32. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार संलग्नक I में दिए, हमने कंपनी के लेखों और वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के निर्देशों, और तदनुसार कार्यवाही और प्रभाव पर विचार किया।
33. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन प्रभावशीलता के संबंध में अनुबंध-II में हमारी अलग रिपोर्ट संलग्न है। हमारी रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर एक योग्य राय व्यक्त करती है।
34. भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (ii) के अधीन जारी कम्पनीज (अंकेक्षण प्रतिवेदन) आदेश, 2015 के पैरा 03 और 04 में निर्दिष्ट मामलों पर अपेक्षानुसार लागू सीमा पर, हम एक कथन अनुलग्नक II में संलग्न कर रहे हैं।
35. अधिनियम की धारा 143 (3) के अपेक्षानुसार हम प्रतिवेदित करते हैं कि :-
- (अ) उपरोक्त विशेषित अभिमत के लिए आधार वर्णित मामले, में हम सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने में असमर्थ थे जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।
- (ब) उपरोक्त विशेषित अभिमत के लिए आधार पैराग्राफ में वर्णित प्रभाव के कारण, हम असमर्थ हैं कि विधि द्वारा यथापेक्षित लेखा पुस्तके कंपनी द्वारा रखी गई है।
- (स) उपरोक्त प्रतिवेदन में प्रतिपादित तुलन पत्रक, लाभ-हानि लेखा एवं नगद प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।
- (द) उपरोक्त विशेषित अभिमत के लिए आधार पैराग्राफ में वर्णित प्रभाव के कारण, हम असमर्थ हैं कि उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों और कंपनी (लेखा) नियम 2014 के सहपठित नियम 07 का अनुपालन करते हैं।
- (इ) लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण हम अधिनियम की धारा 164(2) के अंतर्गत कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
- (फ) लेखों के रख-रखाव और उनसे संबंधित अन्य मामलों में क्वालिफिकेशन ऊपर उल्लेखित विशेषित अभिमत के लिए आधार पैराग्राफ में यथा वर्णित है।
- (ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम "के अनुपालन में लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में सन्निहित अन्य मामलों के बारे में और हमारी श्रेष्ठतम जानकारी और हम दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारे विचार में
- (i) उपरोक्त विशेषित अभिमत के लिए आधार पैराग्राफ में वर्णित प्रभाव, हम असमर्थ हैं कि कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है।
- (ii) उपरोक्त विशेषित अभिमत के लिए आधार पैराग्राफ में वर्णित प्रभाव हम असमर्थ हैं कि कंपनी ने कोई दीर्घ अवधि अनुबंध किए जिसके लिए उसे हानि का पूर्वज्ञान हो सके।
- (iii) 31 मार्च 2016 की स्थिति में कोई राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित किये जाने में कोई विलंब नहीं है।

, l , y v'k' i' h i' h c'k'k' %e'y j'k'k'k' : - 53-00 yk[k
ml ij c; kt : - 14-28 yk[k
d'g : - 67-28 yk[k

LF'kku %& tcyijj
fnukad %&27-11-2016

okLrses fui'lnz , .M daj
pkVMZ vclkm'v'4]
daji'at'h; u da 000379c
I gh@&
I h, - i'nh' d'ekj x'rk
I k>nkj
I nL; rk daj070855

fu'i {k vdz{k d ifronu dsfy, vuy\ud&1 (म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी के सदस्यों को 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर सम दिनांक के लिए हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 39 में "अन्य वैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" शीर्ष के अंतर्गत) दिशा- निर्देश

Øa	fu; ã-d , oaegky\kk ds fn'kk&funz'k	vdz{k d mlkj	vuy\ud& d k; bkgh vj\ [kkrk vj\ fõlkh; foj.k ij i\kkko
01.	क्या कंपनी को फ्रीहोल्ड और पट्टे के लिए क्रमशः निर्बंध अधिकार/पट्टा प्रसंविदा है। यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड की जमीन का क्षेत्रफल बताएं जिसके लिए शीर्षक/पट्टा प्रसंविदा उपलब्ध नहीं है?	जैसा कि हमें बताया गया है, कि कंपनी म.प्र. की पूर्वी भाग में 1,35,162 वर्ग किलोमीटर तक फैले 21 जिलों में काम कर रही है। म.प्र. शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कंपनी पूर्ववर्ती एमपीएसईबी की पुनर्गठित कंपनियों में से एक है। विलय के कारण पूर्ववर्ती एमपीएसईबी की सभी परिसंपत्तियों की एम.पी.पी.के.वी.वीसी.एल. को जैसा और जहां है आधार पर स्थानांतरित किया जाता है। एमपीपीकेवीवीसीएल के नाम पर शीर्षक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
02.	क्या उधार/ऋण/ब्याज की छूट/अपलेखन के कोई मामले हैं, यदि हां तो कृपया इसके कारण और अंतर्निहित राशि प्रतिवेदित करें।	कंपनी की पुष्टि के अनुसार लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान ऋण माफी/ ऋण बट्टे खाते डालना/ऋण/ब्याज आदि के कोई भी मामले नहीं हैं।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
03.	क्या तीसरे पक्ष के पास माल सूची और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार में प्राप्त संपत्ति के लिए उचित अभिलेख रखे गए हैं।	(अ) तीसरे पक्ष के पास माल सूची के उचित अभिलेख नहीं बनाए गए। (ब) सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार में प्राप्त संपत्ति के संबंध में, कंपनी द्वारा उचित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण हम इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। (स) सरकार रूप अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त अनुदान के लिए उचित अभिलेख बनाए गए हैं।	(अ) माल सूची के उचित अभिलेख न रखने एवं प्रासंगिक जानकारी की अनुपलब्धता के कारण, खातों और वित्तीय विवरण पर इसका वित्तीय प्रभाव पता नहीं है।
04.	सरकार द्वारा स्वामित्व वाली खाली भूमि के अतिक्रमण के रोकने के लिए कदमों की पूर्ति के मामले में जांच की जा सकती है क्योंकि कंपनी की भूमि अतिक्रमण हुई है, वाद के तहत उपयोग नहीं की गई या अधिशेष घोषित नहीं किया गया है विवरण प्रदान किया जा सकता है।	जैसा कि हमें बताया गया है :- ऐसी कोई घटना प्रबंधन के वित्तीय वर्ष 2015-16 में रिपोर्ट नहीं हुई है।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
5.	जहां नई परियोजना की स्थापना में भूमि अधिग्रहण शामिल है, रिपोर्ट करें कि बकाया राशि का निपटारा शीघ्रता से और सभी मामलों में पारदर्शी ढंग से किया गया हो।	जैसा कि हमें बताया गया है:-वर्ष के दौरान ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हुईं।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
6.	क्या कंपनी की संविदात्मक शर्तों के अनुसार राजस्व की वसूली के लिए एक प्रभावी प्रणाली है और क्या लागू लेखा मानकों के अनुपालन में खातों की पुस्तकों में राजस्व का सही तरह से हिस्सा है।	कंपनी द्वारा भी पुष्टि की गई है कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व की वसूली के कंपनी का एक प्रभावी तंत्र है और लागू लेखा मानकों के अनुपालन में खातों की पुस्तकों में राजस्व का उचित रूप से उल्लेख किया गया है।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

7.	परित्यक्त परियोजना पर कितना खर्च किया गया है और इससे कितनी राशि बट्टे खाते की गई।	जैसा कि हमें बताया गया है :- वर्ष के दौरान ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई।	खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
8.	क्या कंपनी चयनित क्षेत्रों में बिजली के वितरण के (फ्रेंचाइजी) लिए मताधिकार के साथ समझौते किए हैं और राजस्व साझेदारी समझौते पर्याप्त रूप से कंपनी के वित्तीय हित की रक्षा करते हैं। यदि हां तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में ऐसे मामलों का विवरण हमें दिया जाएगा। यदि नहीं, तो कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा नहीं करने का कारण हमें बताया जाएगा।	कंपनी द्वारा सागर में एस्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्रा.कं. लिमिटेड (मताधिकार/फ्रेंचाइजी के रूप में) से समझौता किया है। कंपनी द्वारा फ्रेंचाइजी के साथ समझौते में अपनी वित्तीय हित का ध्यान दिया है। हालांकि यह मार्च 2016 के महीने में बंद कर दिया गया है।	31 मार्च 2016 तक, य. 3623,49 लाख की कुल राशि उक्त फ्रेंचाइजी से वसूली जा चुकी थी।
9.	कंपनी में बिलिंग और राजस्व वसूली की प्रणाली की दक्षता पर रिपोर्ट	<p>अ. हमारी जानकारी के अनुसार :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ कंपनी ने अपने राजस्व की वसूली की एक प्रणाली स्थापित की है। डिवीजन आफिस में तैनात डिवीजनल इंजीनियरों की समीक्षा कर रहे हैं। कम्प्यूटरीकृत बिलिंग प्रणाली क माध्यम से उपभोक्ताओं को मासिक बिल जारी किया जा रहा है खाते की पुस्तकों में समेकित मासिक मांग का हिसाब किया जा रहा है। ❖ कंपनी, अपने प्रांसगिक लेखांकन नीति के अनुसार (i.e. लेखांकन नीति स. 15.3, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण के नोट में उल्लेख किया) साल के अंत में बकाया देनदार पर निर्धारित प्रतिशत में संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है जो दोनों एच.टी. और एल.टी. उपभोक्ताओं की श्रेणी के साथ ही साथ स्थायी रूप से काटे गए कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं चाहे एच.टी. या एल.टी. बिजली विक्रय हेतु शामिल है। <p>(ब) विविध ऋणदाता :-</p> <p>विद्युत क्रय हेतु - निम्न दाब रु. 277376.08 लाख (देनदारों के प्रावधानों से पहले) में रु. 2522.56 लाख (मुख्यालय ट्रायल बैलेंस के अनुसार), जिनके विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।</p> <p>(स) व्यापार प्राप्तियां रु. 294892.76 लाख में शामिल उपरोक्त में जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), म.प्र. शासन से प्राप्त रु. 457.00 लाख शामिल है, जो मई 2013 से जुलाई 2013 तक की अवधि के लिये डब्ल्यूआरडी के कनेक्शन द्वारा खपत यूनिटों के लिये डब्ल्यूआरडी पर प्रस्तुत किये गये बिल के खिलाफ। चूंकि पुराने समय से लंबित मुद्दों को निपटान करने के लिये म.प्र. शासन द्वारा एक बार निपटान किया गया था, और प्राप्य से संबंधित 31.07.2013 तक का दावा और बिजली कंपनियों और डब्ल्यूआरडी के बीच देय, समझौते को पुनः खोलने की संभावना (पुराने लंबित मुद्दों और दावों को सुलझाने के लिये) और 457.00 लाख के दावे पर विचार कर रहा है जो 31.07.2013 तक दावों में शामिल नहीं किये जाने के कारण बहुत दूर प्रतीत हो रहे थे, इसलिये एक प्रावधान किया जाना चाहिये था।</p> <p>(ड) उपरोक्त में निम्नलिखित प्राप्तियां शामिल है, जिन्हें</p>	<p>अ. खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।</p> <p>ब) विवरणों के गैर प्रस्तुत करने के कारण खातों और वित्तीय वक्तव्यों पर वित्तीय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।</p> <p>स) इसके गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप 'व्यापार प्राप्य' को ज्यादा आंकलन की गई तथा 'हानि' को कम आंकलन किया जो प्रत्येक के लिए रु.457.00 लाख की राशि बताई गई।</p> <p>ड) इसके गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप</p>

		<p>बहुत पुराना माना गया है :- —सरकार से अन्य प्राप्य रु. 116.63 लाख —बिजली बिक्री सब्सिडी डीआईआर इंडस्ट्रीज रु. 72.32 लाख हरिजन बस्ती रु. 32.62 लाख अंतर-राज्य बिजली बिक्री रु. 6.14 लाख यह शेष राशि जो कि रु. 277.71 लाख, जिसको प्रबंधन द्वारा असुरक्षित अच्छा माना जाता है, यह कंपनी के गठन से आगे ले जाने वाली शेष राशि जो है। ये शेष बहुत पुराना है और अब तक अचेतन है, इसके लिये प्रावधान किया जाना चाहिये। उसी के गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप "व्यापार प्राप्य" को रु. 277.71 लाख राशि जो से अधिक दर्शाया गया है और कंपनी भी हानि रु. 277.71 लाख राशि से कम दर्शायी गयी।</p>	<p>'व्यापार प्राप्य' को ज्यादा आंकलन की गई तथा 'हानि' को कम आंकलन किया जो प्रत्येक के लिए रु.277.71 लाख की राशि बताई गई।</p>
10.	<p>क्या सभी उपभोक्ताओं के यहां छेड़छाड़ प्रतिरोधक मीटर स्थापित दिए गए ? यदि नहीं तो बिलिंग की सटीकता सुनिश्चित हेतु कैसे जांच की जाती है।</p>	<p>कंपनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर उपभोक्ताओं के परिसर में टेम्पर्ड प्रूफ मीटर स्थापित किये गये हैं।</p>	<p>खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।</p>
11.	<p>क्या कंपनी द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोग (एस.ई.आर.सी.) द्वारा मंजूर ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (FPPAC) राशि वसूली जाती है। यदि नहीं ऐसा नहीं करने के कारण उपलब्ध कराएं.</p>	<p>कंपनी एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार एफसीए शुल्क वसूलता है।</p>	<p>खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।</p>
12.	<p>जनरेशन क्या वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों के बीच प्राप्तियां और देय राशि का मूल-मिलाप पूरा हो गया है यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में ऐसे मामलों का विवरण हमें दिया जाए। यदि नहीं, तो अंतर के लिए कारण और अंतर की राशि हमें बताएं।</p>	<p>कंपनी द्वारा भी पुष्टि की गई :- क) अन्य दो वितरण कंपनियों के साथ मेलमिलाप कार्य वर्ष के दौरान पूरा हो गया है और संबंधित कंपनियों के लिए शेष पुष्टि पत्र भी भेजे गये थे। ख) पारेषण प्रभार के विरुद्ध देय राशि के लिए ट्रांसमिशन कंपनी के साथ सुलह प्रक्रिया में है। इसी प्रकार प्राप्तियां और भुगतान जनरेशन कंपनी के साथ प्रक्रिया में है।</p>	<p>खातों और कंपनी की वित्तीय बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।</p>
13.	<p>क्या कंपनी फैंचाइजी को बिजली आपूर्ति कर रही है? यदि हां, तो क्या कंपनी खरीद की अपनी औसत कीमत के नीचे फैंचाइजी को बिजली नहीं दे रही है?</p>	<p>क) उपरोक्त अनुसार हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सागर शहर में बिजली वितरण के लिए एक्सेल विद्युत वितरण (सागर) प्राइवेट कंपनी लिमिटेड (फैंचाइजी के रूप में) के साथ समझौता किया था। फैंचाइजी के साथ समझौते में प्रवेश करते समय कंपनी ने अपने वित्तीय हित का ख्याल रखा था, हालांकि यह मार्च 2016 के महीने में बंद कर दिया गया है। ख) हमें प्रासंगिक विवरणों के साथ प्रस्तुत नहीं दिए गए हैं ताकि हम यह पता लगा सकें कि कंपनी फैंचाइजी को अपनी औसत लागत की खरीद के नीचे बिजली की आपूर्ति कर रही है या नहीं।</p>	<p>क) 31 मार्च 2016 तक रु. 3623.49 लाख की कुल राशि उक्त फैंचाइजी से वसूली जा सकती है। ख) प्रासंगिक विवरणों के गैर प्रस्तुत के कारण हम फैंचाइजी को अपनी खरीदी की औसत लागत के नीचे यदि कोई हो कंपनी के खातों और वित्तीय विवरण पर प्रभाव का पता नहीं लगा सके।</p>
14.	<p>कितनी रोलबैक टैरिफ सब्सिडी की अनुमति दी गई और वर्ष के दौरान खातों में ली गई। क्या राज्य सरकार द्वारा इसकी नियमित प्रतिपूर्ति की जा</p>	<p>वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सूचित किया कि म.प्र.शासन से सब्सिडी और दावे की प्रतिपूर्ति के रूप में रु. 1804.99 करोड़ राशि दर्ज किया गया है, जबकि म.प्र.शासन से रु. 1948.39 करोड़ ही प्राप्त किया गया है। इस प्रकार 31 मार्च 2016</p>	<p>खाता और वित्तीय विवरणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। रु. 173.92 करोड़ राशि के संबंध में कंपनी द्वारा सूचित किया कि "सरकार की ओर</p>

	रही है या नहीं, कमी, यदि कोई हो पर टिप्पणी की जा सकती है।	की स्थिति में रु. 173.92 करोड़ कम प्राप्त किया गया था।	से सब्सिडी प्राप्तियों को 'व्यापार प्राप्य' के रूप में दर्शाया गया है।
15.	सभी कानूनी मामलों (विदेशी और स्थानीय) पर व्यय के लिए लंबित / मध्यस्थता मामलों की आयुवार विश्लेषण, लंबित और अस्तित्व / निगरानी तंत्र के प्रभाव सहित, हमें प्रस्तुत किया जाएगा।	क) कंपनी द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक, मामलों की बड़ी संख्या / मध्यस्थता मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। वकील के माध्यम से अदालत में आए हैं। कंपनी की नीति के मुताबिक, अधिकारी प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं। जिन्होंने मामलों की स्थिति की निगरानी की। कानूनी मामलों पर व्यय कंपनी द्वारा निर्धारित पूर्व निर्धारित दरों पर खर्च किए जाते हैं। ख) कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के गैर-प्रस्तुत करने के कारण लंबित / मध्यस्थता मामलों के आयुवार विश्लेषण पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ग) कंपनी ने अपने वित्तीय वक्तव्यों में अपने वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च-2016 तक लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा नहीं किया है।	क) कंपनी के खातों और वित्तीय वक्तव्यों पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ख) प्रासंगिक विवरणों के गैर प्रस्तुत करने के कारण, हम कंपनी के खातों और वित्तीय वक्तव्यों पर असर का पता नहीं लगा सके। ग) कंपनी के खातों और वित्तीय वक्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना नहीं है।

LFiku % tcyij]
fnukad %27-11-2016

okLrse fui 5nz , .M daj
pkVMZ vdkm5/4]
dajiat; u da 000379c
I gh@&
I h , - i nhi dckj xqrk
I k>nkj
I nL; rk daj070855

vuyxud 'ii' Lora= y[kdkjka dh fj i k/W ds fy,

(यहां तक कि दिनांक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुच्छेद 33 में उल्लिखित मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए और के लिए वित्तीय विवरणों पर)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 के उप-धारा 3 के खंड (प) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2016 तक मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्रीय विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा किया है और कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा के साथ समाप्त हुए वर्ष के लिए और उस तिथि के अनुसार है।

foLkh; oä0; kdsfy, çaku dh ftEenkjh

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। यह द इंस्ट्र्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('मार्गदर्शन नोट') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में कहा गया आंतरिक नियंत्रण का आवश्यक घटक है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के नीतियों के अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित, अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे लेखा के रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और अधिनियम के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयार करने के लिए है।

y[kk i jh(kd dh ftEenkjh

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने आडिट के धारा 143 (10) और दिशानिर्देश नोट के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा-परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, लेखापरीक्षा किया। उन मानकों और निर्देशन नोटों की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन के लिए आचरण करते हैं और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और

मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षकों के फ़ैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के सबूत वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

foUkh; fji kSV&k I svf/kd vkrfjd foUkh; fu; a.k dk vFkZ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्य के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है

- (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है
- (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेनदेन आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक होने के लिए दर्ज किए गए हैं, और कंपनी की प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियां और व्यय ही बनाये जा रहे हैं तथा
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना कि वित्तीय वक्तव्यों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है।

foUkh; fji kSV&k I svf/kd vkrfjd foUkh; fu; a.kkadh varfuigr I hek, a

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत वक्तव्य हो सकता है और पता नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ती है।

; k&; rk dsvk/kj dsfy, vk/kj

कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं कमजोर हैं और इसके समग्र सुधार के लिए प्रबंधन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रणाली में सटीक सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए जाने से पहले तैयार किए गए विभिन्न विवरणों सूचनाओं की क्रॉस जांच की प्रणाली का परिचय, परिचय वर्ष के दौरान शुरू की गई प्रणाली में उचित मान्यता प्रक्रिया, अंतर-इकाई खातों का समय पर सुलह, सहायक खातों का समयबद्ध समाधान और सामान्य खाता बही, अलग-अलग व्यक्तिगत खातों के संबंध में संतुलन की पुष्टि प्राप्त करना और उसके बाद इसके साथ समन्वय करना, भंडार खातों का सुलह होना इन्वेंट्री रिकॉर्ड, बैंक खातों का सुलह, नियमित आधार पर खातों की समीक्षा के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करने, अलग-अलग लेखांकन कोडों में दिखने वाले प्रतिकूल संतुलन की समीक्षा करना और सुधारात्मक कार्रवाई आदि करना। कंपनी के वित्तीय पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण के प्रभाव का पता लगाया नहीं जा सकता क्योंकि यहा शत प्रतिशत जांच की आवश्यकता है।

jk;

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2016 तक वित्तीय रिपोर्टिंग के मामले में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कमजोर होती है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता कमजोर पाया जाता है, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर, मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया।

**LFku %& tcyijj
fnukd %&27-11-2016**

**okLrses fuiUnz , .M daj
pkVMZ vdkm&4]
dajiat:h; u da 000379c
I gh@&
I h, - i nhi dckj xqrk
I k>nkj
I nL; rk daj070855**

oSkkfud vdkkd ifronu dt fy, vuy&lud&III

(म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि. कंपनी के सदस्यों को 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर सम दिनांक के लिए हमारे प्रतिवेदन के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत)

- (i) (अ) कंपनी ने स्थायी संपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक ब्यौरा दर्शाते हुए दस्तावेज पूर्ण विवरण सहित बनाए है, जिसमें सिवाय इसके कि अचल संपत्ति की स्थिति के संबंध में उस विवरण को बनाए रखा नहीं है।
- (ब) कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण सहित उचित रिकार्ड बनाए रखा है, सिवाय इसके कि अचल संपत्ति की स्थिति के संबंध में उस विवरण को बनाए रखा नहीं है।
- (स) जैसा कि बताया गया है 31 मार्च-2016 तक अचल संपत्तियों के शीर्षक के काम कंपनी के नाम पर आयोजित नहीं किए गए थे चूंकि कंपनी म.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड (एम.पी.एस.ई.बी.) के विघटन से बनी है, एम.पी.पी.के.व्ही.व्ही.सीएल के नाम पर शीर्षक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

- (ii) जैसा कि कंपनी द्वारा सूचित किया, हमारे द्वारा पर्यवेक्षण किया गया कि माल सूची (इन्वेंटरी) का भौतिक सत्यापन किया गया है हालांकि किताबे सुलह के अंतर्गत प्रक्रियाधीन है। चूंकि हमें इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए हम इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन और इसके संबंधित मामलों की प्रणाली पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते।
- III हमारी राय में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के तहत कोई ऋण नहीं दिया है, चाहे वह कंपनियों के लिए सुरक्षित था असुरक्षित फर्मों, समिति देयता भागीदारी या अन्य पार्टियां जो रजिस्टर में सरक्षित रखा है।
- IV हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अनुसार कोई भी ग्रहण नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी नहीं दी है या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।
- (v) हमें विचार हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने अधिनियम 2013 की धारा 73 और 74 के अर्थों में और उसके नियमों के अधीन जनता से कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है। अतः रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दिये गये निर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 तक प्रावधान और इसके अंतर्गत बने नियम अंकेक्षण के अधीन वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होते। हमें दी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त धाराओं में कंपनी लॉ बोर्ड या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी न्यायालय या किसी ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।
- (vi) हमें दी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत लेखांकन अभिलेख) नियम 2014 की आवश्यकतानुसार लागत लेखे बनाए और रखे गए हैं। जैसे कि सूचित किया गया है कि लागत रिकार्ड की तैयारी प्रक्रिया में है इसलिए हम लागत अभिलेखों की एक सामान्य समीक्षा का पालन नहीं कर सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभिलेख के अनुसार निर्धारित किया गया है बने और बनाए रखा जाता है।
- (vii) (a) हमें कंपनी द्वारा दिए गए अभिलेखों की जांच, स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार कंपनी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, उपकर और अन्य अविवादित वैधानिक देयताएं, समुचित प्राधिकृति को जमा करने में नियमित है।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार विवाद के कारण जमा नहीं किया गया आयकर, वेल्थ (धन) कर, विक्रय कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, वेट कर और उपकर निम्नानुसार है :-

Øa	vf/kfu; e dk uke	nş dk Lohko	jk'k l ekgr : - yk[k ea	vof/k ft l l s jk'k l ek/kr gş	ep tgkafookn y/cr gş
01.	आयकर अधिनियम, 1961	कर्मचारियों को मुफ्त बिजली पर सीमांत लाभ	13.40	कर निर्धारण वर्ष 2006-07	म.प्र. उच्च न्यायालय
02.	आयकर अधिनियम, 1961	कर्मचारियों को मुफ्त बिजली पर सीमांत लाभ	69.82	कर निर्धारण वर्ष 2007-08	आई.टी.ए.टी. जबलपुर
03.	आयकर अधिनियम, 1961	कर्मचारियों को मुफ्त बिजली पर सीमांत लाभ	55.74	कर निर्धारण वर्ष 2008-09	आई.टी.ए.टी. जबलपुर
04.	आयकर अधिनियम, 1961	चक्रण व्यय पर टी.डी.एस. न काटने पर पेनाल्टी	1098.27	कर निर्धारण वर्ष 2010-12	जे.सी.आई.टी.-टी.डी.एस. भोपाल
05.	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	वेट अधिनियम	29.07	वित्तीय वर्ष 2008-09	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
06.	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	वेट अधिनियम	94.71	वित्तीय वर्ष 2009-10	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
07.	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	6.43	वित्तीय वर्ष 2006-07	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
08.	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	14.92	वित्तीय वर्ष 2007-08	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड
09.	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	2.73	वित्तीय वर्ष 2008-09	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड, भोपाल
10.	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	13.42	वित्तीय वर्ष 2009-10	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड, भोपाल
11.	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	708.41	वित्तीय वर्ष 2010-11	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड, भोपाल
12.	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	677.97	वित्तीय वर्ष 2011-12	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलेट बोर्ड, भोपाल

13	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	1098.26	वित्तीय वर्ष 2012-13	अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग
14	वाणिज्य कर विभाग, म.प्र.	प्रवेश कर	1000.29	वित्तीय वर्ष 2013-14	अपर आयुक्त वाणिज्य कर विभाग
		; lsc	4883-44		

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों बैंकों या ऋणपत्र धारकों (ऋणदाता बार विवरण निम्नानुसार) को देय के पुनर्भुगतान में कोई त्रुटि नहीं की है :-

Øa	foUkh; I LFkku@cdk@__ .ki = /kjdka dsuke	cdk; k jkf'k dh idfr	jkf'k ¼ - yk[k ea½	
			ey/ku	C; kt
01.	सार्वजनिक बॉण्ड्स/एस.एल.आर. बॉण्ड्स	मूलधन और ब्याज	123.71	89.07
02	डीबेचर/पीपी बॉण्ड्स	मूलधन और ब्याज	3165.95	5746.94
03	एडीबी से ऋण	मूलधन और ब्याज	8784.35	7739.76
04	आर.ई.सी से ऋण-आरजी.जी.व्ही.वाय. योजना के तहत	मूलधन और ब्याज	1618.11	1922.95
05	पीएफसी से ऋण	मूलधन और ब्याज	2484.58	1661.47
06	आर.ई.सी लिमिटेड	मूलधन और ब्याज	12.95	2335.86
07	एसटीएन/टीएसपी/एससीएसपी	मूलधन और ब्याज	3288.08	3107.16
08	कार्यशील पूंजी ऋण	मूलधन और ब्याज	7148.86	5608.94
09.	आईडीबीआई से ऋण	मूलधन	1083.50	निरंक
10	एसआईडीबीआई से ऋण	मूलधन	841.60	निरंक
11	एन.व्ही.डी.ए.	ब्याज	निरंक	1386.57
12	एम.पी. कोआपरेटिव बैंक	ब्याज	निरंक	6.65

- (ix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा परीक्षा के तहत की अवधि के दौरान अस्तित्व में रहने वाले ऋण के उद्देश्यों के लिए आवेदन किया गया था, जिसके लिए इन्हें उठाया गया था। कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या अतिरिक्त सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं उठाया है।
- (x) हमारे परीक्षण के दौरान, कंपनी के खाते एवं अभिलेख, भारत में आम तौर पर स्वीकार लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार किए गए हैं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी पर या द्वारा कोई धोखाधड़ी ध्यान में नहीं आई और न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले के बारे में सूचित किया गया है।
- (xi) दिनांक 05 जून-2015 की सरकारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होंगे, इसलिए खंड (XI) लागू नहीं है।
- (xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है इसलिए आदेश के खंड (XII) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम का धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, जहां संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेन-देन के लिए लागू हैं और संबंधित पार्टियों के विवरण का खुलासा किया गया है जैसा कि वित्तीय वक्तव्य आदि, जैसा कि लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक है।
- (xiv) इस वर्ष के दौरान कंपनी ने शेषों या पूरी तरह से या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर के अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किए हैं और इसलिए कंपनी के आदेश के खंड (xiv) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निर्देशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ किसी गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं हैं।
- (xvi) कंपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

LFkku %& tcyijj
fnukad %&27-11-2016

okLrs es fui gnrz , .M daj
pkVMZ vdkm/4/1]
dajiat h; u da 000379c
I gh@&
I h,- inhi dajj xtrk
I k>nkj
I nL; rk daj070855



e/; i n s k i m l { k s = f o | q f o r j . k d a f y -
CIN: U40109MP2002SGC015120
Cykkl ua 7] 'kfDr Hkou] tcyij
ryu i =d 31 eplz 2016



(₹ yk[k eš)

	fooj .k	vuq ph Ø-	pkywo"lz ųkf' k½		i mbrhl o"lz ųkf' k½	
1.	bfdovh , oansunkj ; ka					
1	vák/kfj ; ka ch fuf/k; ka					
	(a) अंश पूंजी	2.1	183,280.50		179,020.50	
	(b) संचय और आधिक्य	2.2	(1,002,742.07)		(858,244.79)	
	(c) अंश अधिपत्र हेतु मुद्रा प्राप्ति		-		-	
				(819,461.57)		(679,224.29)
2	vák vlonu epk yácr vkoá/u	2.3	-	2,552.00		2,670.00
3	xj&pkywunsunkj ; ka					
	(a) दीर्घावधि देनदारियां	2.4	1,197,233.04		1,132,287.99	
	(b) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)		-		-	
	(c) अन्य दीर्घावधि देनदारियां	2.5	44,252.01		43,390.62	
	(d) दीर्घावधि प्राक्धान	2.6	116,681.40		71,428.63	
				1,358,166.45		1,247,107.23
4	pkywunsunkj ; ka					
	(a) लघु अवधि ऋण	2.7	35,000.00		-	
	(b) व्यापार भुगतान	2.8	86,350.05		150,879.99	
	(c) अन्य दीर्घावधि देनदारियां	2.9	224,841.87		145,987.64	
	(d) लघु अवधि प्राक्धान	2.10	80,838.68		28,641.68	
				427,030.60		325,509.31
				968,287.48		896,062.25
		dy				
1	ifj l á flr ; ka					
	xj&pkywifj l á flr ; ka					
	(a) अचल परिसंपत्तियां	2.11				
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		384,184.01		389,960.28	
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		-		-	
	(iii) पूंजीगत कार्य प्रगति में		111,557.03		61,118.53	
	(iv) विकासघीन अमूर्त परिसंपत्तियां		3,064.69		2,499.06	
			498,805.74		453,577.86	
	(b) गैर-चालू निवेश	2.12	-		-	
	(c) आस्थगित कर संपत्तियां (शुद्ध)		-		-	
	(d) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	2.13	68,167.03		59,054.61	
	(e) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	2.14	1,447.07		1,649.80	
				568,419.83		514,282.27
2	pkywifj l á flr ; ka					
	(a) चालू निवेश	2.15	-		-	
	(b) स्कंध	2.16	37,259.90		24,392.39	
	(c) व्यापार प्राप्तियां	2.17	294,892.76		296,585.73	
	(d) नकदी एवं नकदी समकक्षता	2.18	45,737.20		42,270.74	
	(e) लघु अवधि ऋण एवं अग्रिम	2.19	122.55		108.18	
	(f) अन्य चालू परिसंपत्तियां	2.20	21,855.23		18,422.93	
				399,867.64		381,779.98
				-		
				968,287.48		896,062.25
		dy				
	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और वित्तीय विवरणों के संबंध में अनुसूचियां	1 1 & 2				

gekjs l y/xu i fkd ifronu ds vuq kj
okLrs es fui lnz , .M da
pkVM vclmá/w/4

okLrs e/; i n s k i m l { k s = f o | q f o r j . k d a u h f y f e V M
okLrs vlg l pkyd emly dh vlg l s

I gh
I h, - inhi dplj xqrk
Hkoxhmkj
, e-Ø- %070855
, Q-vkj-, u- Ø- %000379c
LFku % tcyij
fnukad %27 uoÉcj 2016

I gh
, e-l h- xqrk
icak l pkyd

I gh
MKW yfyr ekgu 'kekz
dá uh l fpo

I gh
, -ds i kmS
l pkyd&okf.kt;

I gh
pru t ; l oky
e/; foRrh; vf/kdkjh



e/; i n s k i m z { k s= fo | r forj.k da fy-

CIN: U40109MP2002SGC015120

Cykhil ua7] 'k fDr Hkou] tcyij

1 vi dy 2015 l s 31 e k p z 2016 dh vof/k ds fy; s yk h k & g k f u [k r k



(₹ y k [k e)

fooj.k	vuq ph Ø-	pkywo"z % k f' k z		i worh'o"z % k f' k z	
I. प्रचालनों में राजस्व	2.22		715,991.02		668,195.73
II. अन्य आय	2.23		35,087.94		41,704.22
III. dy jktLo (I + II)			751,078.95		709,899.95
IV. 0; ;					
(a) विद्युत का क्रय और चक्रण शुल्क	2.24		760,411.42		663,838.62
(b) कर्मचारी लाभ व्यय	2.25		84,117.59		82,402.43
(c) वित्त लागत	2.26		35,835.92		25,066.09
(d) मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	2.27		26,109.93		35,912.84
(e) अन्य व्यय	2.28				
i) प्रशासन और सामान्य व्यय		15,789.60		15,178.29	
ii) मरम्मत एवं रखरखाव		7,713.34		6,599.96	
iii) अपलेखित तथा अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		14,960.19		20,345.71	
iv) विविध व्यय/विविध हानियां		42.52	38,505.64	93.47	42,217.43
dy 0; ;			944,980.50		849,437.42
V. vioknLo: i vl k/; dj vlg vl k/kj.k enka vlg dj i m z yk h k & g k f u (III-IV)			(193,901.55)		(139,537.47)
VI. असाधारण मद (पूर्व अवधि शुद्ध)	2.29		(15,878.50)		(11,958.90)
VII. dj vlg vl k/kj.k enka ds i m z yk h k & g k f u (V - VI)			(178,023.05)		(127,578.57)
VIII. असाधारण मद	2.30		(16,331.69)		(11,420.41)
IX. l r r i p y u k a e a d j i m z y k h k & g k f u (VII- VIII)			(161,691.35)		(116,158.16)
X dj 0; ;					
(1) चालू कर			-		-
(2) आस्थगित कर			-		-
XI l r r i p y u k a e a d j i ' p k r y k h k & g k f u (IX-X)			(161,691.35)		(116,158.16)
XII बंद प्रचालनों में लाभ/(हानि)			-		-
XIII बंद प्रचालनों में कर व्यय			-		-
XIV बंद प्रचालनों में लाभ (हानि)(कर उपरांत) (XII-XIII)			-		-
XV vof/k ds nlgku yk h k & g k f u (XI + XIV)			(161,691.35)		(116,158.16)
XVI ifr vdk vk;	2.31				
(1) मूल			(89.78)		(72.14)
(2) मिश्रित			(88.15)		(64.11)
(3) मूल (असाधारण मदों के बगैर)			(98.84)		(79.23)
(4) मिश्रित (असाधारण मदों के बगैर)			(88.88)		(70.41)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और वित्तीय विवरणों के संबंध में अनुसूचियां		1 1 & 2			

gekjs l yku i fkd ifronu ds vuq kj

okLrs e/; i n s k i m z { k s= fo | r forj.k da uh fyfeVM
okLrs vlg l pkyd eMy dh vlg l s

okLrs es fuihnz , .M da
pKVM vdkmà/à/

I gh
I h , - inhi dckj xqrk
Hkxhmkj
, e-Ø- % 070855
, Q-vkj-, u- Ø- % 000379c
LFku % tcyij
fnukad % 27 uoEcj 2016

I gh
, e-l h- xqrk
iczk l pkyd

I gh
MKW yfyr ekgu 'kelz
clàuh l fpo

I gh
i ts vijftrk vls-k
l pkyd

I gh
pru t; l oky
e[; foRrh; vf/kdjh



e/; insk i mZ {ks= fo|q forj.k da fy-
CIN: U40109MP2002SGC015120
Cykkl ua7] 'kfDr Hkou] tcyig
31 ekpZ 2016 dk l ektr o'kZ ds fy, uxn i oZg fooj.k



(₹ yk[k e\$)

fooj.k	pkym o'kZ jkf'k	xr o'kZ jkf'k
vof/k ds fy, dj i mZ 'kq ykkl vlg gkfu	(161,691.35)	(116,158.16)
जोड़े		
-ह्रास	26,109.93	35,912.84
-आकस्मिक संचय और प्रावधान	14,960.19	18,396.90
-संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	-	926.56
-संदिग्ध और अशोध्य ऋण अपलिखित	35,835.92	25,066.09
-ब्याज और वित्तीय शुल्क		
l pkyu fdz, kdyki ka l suxnh dk; Z khy i mZ h ifjorZ ds i mZ	(84,785.31)	35,855.77
pkym l a ffr		
स्कंध	12,867.51	(5,859.15)
ऊर्जा आपूर्ति के विरुद्ध प्राप्ति योग	14,317.37	55,688.62
अन्य प्राप्ति योग	2,350.24	(103.78)
ऋण और अग्रिम	9,072.02	(7,896.12)
चालू संपत्तियों में शुद्ध परिवर्तन	38,607.14	41,829.57
pkymnkf; Ro		
लघु अवधि ऋण	35,000.00	-
व्यापार देनदारियां	(66,375.96)	(28,952.22)
अन्य चालू दायित्व	80,653.97	(15,999.72)
लघु अवधि प्रावधान	52,197.01	10,078.27
pkymnkf; Rols ea 'kq ifjorZ	101,475.01	(34,873.67)
pkym i fjl a ffr; ka ea 'kq ifjorZ	(62,867.88)	76,703.24
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के बाद संभालन से प्राप्त नगद	(21,917.44)	(112,559.01)
l pkyu fdz, kdyki ka l suxnh	(21,917.44)	(112,559.01)
सकल स्थायी संपत्ति	(20,333.66)	(69,289.38)
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	(50,438.51)	(36,057.95)
अमूर्त आस्तियां विकास के तहत	(565.64)	(481.84)
निवेश और जमा	-	460.65
fofu; ksc fdz, kdyki ka l suxnh	(71,337.80)	(105,368.52)
समता अंश आधान	4,142.00	7,529.60
उपभोक्ता अंशदान (संचय और आधिक्य)	17,194.08	12,608.82
ऋण लेने से नगदी प्रवाह	64,945.05	202,949.36
अन्य दीर्घकालीन दायित्व	861.40	2,183.68
दीर्घकालीन प्रावधान	45,252.77	30,921.71
ब्याज और वित्तीय शुल्क	(35,835.92)	(25,066.09)
गारंटी शुल्क का अपलेखन	162.33	21.71
foRrh; fdz, kdyki ka l suxnh	96,721.70	231,148.78
वर्ष के दौरान नगद प्रवाह	3,466.46	13,221.25
वर्ष के प्रारंभ में नगद और नगदी के तुल्य	42,270.74	29,049.50
o'kZ ds var ea uxn vlg uxnh ds rF;	45,737.20	42,270.74

fVli .kh %

1% mijkDr uxn i oZg fooj.k rgyu i= 31 ekpZ 2016 dh frfk rFk ml h frfk ds l ektr gkus okys o'kZ ds ykkl gkfu [kkrs ds vk/kkj ij cuk; k x; k g\$
2% mijkDr uxn i oZg fooj.k ykkl ekud&3] uxn i oZg fooj.k ds vuq kj ~viR; {k fof/k" l sr\$ kj fd; k x; k g\$ t\$ k dā uh vf/fku; e 2013 dh /kjk 133 ds var-
vf/kl fpr g\$
3% bl o'kZ ds oxhZkj.k ds fy, t gk; Hk vko'; d gq;kj fi Nys o'kZ ds vkZMka dk i p% l egu vlg i p%0; oLFki u fd; k x; k g\$

gekjs l ay/xu i fkd ifronu ds vuq kj

okLrs e/; insk i mZ {ks= fo|q forj.k dā uh fyfeVM
okLrs vlg l pkyd eMy dh vlg l s

okLrs es fuiñz , .M da
pkVM vdkmā/v/

l gh
l h, - inhi dēkj xqrk
Hkxhmkj
, e-Ø- %070855
, Q-vkj-, u- Ø- %000379c
LFku % tcyig
fnuakd %27 uoEj 2016

l gh
, e-l- xqrk
izā l pkyd

l gh
MKW yfr ekgu 'kekZ
dā uh l fpo

l gh
iks vijftrk vks-k
l pkyd

l gh
pru t; l oky
e; ; foRrh; vf/kdkjh

vud ph&2-1-1

fooj .k	31 ekpl 2016 rd 'k\$sk	31 ekpl 2015 rd 'k\$sk
	jk'k	jk'k
vf/k-r % 25,00,00,000 (गत वर्ष 25,00,00,000) समता अंश रु. 100/- प्रति अंश	250,000.00	250,000.00
fuxferj vupkfnr vksj inRr vdk 9]62]26]547 %kr o"kl 9]19]66]547½ I erk vdk uxn प्रतिफल प्रत्येक रु. 100/-	96,226.55	91,966.55
8,70,53,950 (गत वर्ष 8,70,53,950) प्रति अंश वाले समता अंशों का निर्गमन नगद प्रतिफल के अलावा प्रत्येक रु. 100/- प्रति अंश वाले समता अंशों का निर्गमन ; k\$sk	87,053.95	87,053.95
	183,280.50	179,020.50

vud ph 2-1-2 cdk; k vdkkadh I d; k dk I keatL;

I erk vdkkadh foof .k	31 ekpl 2016 rd 'k\$sk	31 ekpl 2015 rd 'k\$sk
बकाया अंशों की संख्या वर्ष के आरंभ	179,020,497	159,807,697
वर्ष के दौरान जारी किए गए अंशों की संख्या	4,260,000	19,212,800
वर्ष के दौरान वापिस लिए गए अंशों की संख्या	-	-
वर्ष के अंत में बकाया अंशों की संख्या	183,280,497	179,020,497

vud ph 2-1-3 vdk/kkj d /kj .k dā uh ds ikl

vdk /kkj d dk uke	31 ekpl 2016 rd 'k\$sk	31 ekpl 2015 rd 'k\$sk
	vdkkadh I d; k	vdkkadh I d; k
एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	183,280,487	179,020,487

vud ph 2-1-4 vdk/kkj d tks5% vdkkai svf/kd ds LofeRo

vdk/kkj d dk uke	31 ekpl 2016 rd 'k\$sk		31 ekpl 2015 rd 'k\$sk	
	vdkkadh I d; k	LofeRo dk %	vdkkadh I d; k	LofeRo dk %
एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	183,280,487	100%	179,020,487	100%

pru t; l oky
ed; foRrh; vf/kdkjh

vud pph 2-2-1

fooj.k	31 ekpl 2016 rd 'k\$	31 ekpl 2015 rd 'k\$
chek I p;		
प्रारंभिक शेष राशि	11,004.09	11,004.09
(+) चालू वर्ष के स्थानांतरण राशि	-	-
(-) चालू वर्ष में वापिस राशि	-	-
अंतिम शेष राशि	11,004.09	11,004.09
mi HkDk vknku I jdkjh vupku vkj vkf/kD I gk; rk		
I Ei fRr ds foD; ij vkLFkfr vk; ½yHk½		
प्रारंभिक शेष राशि	-	-
शेष समापन राशि	-	-
i at h I Ei fRr ds fy; smi HkDk vknku		
प्रारंभिक शेष राशि	12,786.77	16,235.71
(+) चालू वर्ष की स्थानांतरण राशि	1,485.71	5,058.22
(+) समायोजन वित्तीय वर्ष	9,050.28	
(-) चालू वर्ष में वापिस राशि	(1,642.80)	(8,507.16)
शेष समापन राशि	21,679.95	12,786.77
i at h I a fRr; ka dh ykx ds fy, I gk; rk vupku		
प्रारंभिक शेष राशि	38,408.94	31,274.46
(+) चालू वर्ष की स्थानांतरण राशि	7,980.81	56.50
(+) वर्ष के दौरान समायोजन	(9,050.28)	7,077.97
(-) चालू वर्ष में वापिस राशि	(2,401.91)	-
शेष समापन राशि	34,937.56	38,408.94
vkj th th ghok; I Ei fRr dh ykx ds fy, vupku		
ikj fHkd 'k\$ jk'k	78,157.37	69,234.09
(+) चालू वर्ष की स्थानांतरण राशि	16,235.61	22,899.74
(-) चालू वर्ष में वापिस राशि	(4,463.34)	(13,976.46)
शेष समापन राशि	89,929.64	78,157.37
अधिशेष		
प्रारंभिक शेष राशि	(998,601.95)	(882,443.79)
(+) चालू वर्ष में शुद्ध लाभ (शुद्ध हानि)	(161,691.35)	(116,158.16)
(+) संचय में स्थानांतरण	-	-
(-) प्रस्तावित लाभांश	-	-
(-) अंतरिक लाभांश	-	-
(+) संचय को स्थानांतरण	-	-
शेष समापन	(1,160,293.30)	(998,601.95)
; k\$	(1,002,742.07)	(858,244.79)

* लेखा मानक, (AS-12) के अनुसार उपभोक्ता अनुदान और अचल परिसंपत्तियां में योगदान हेतु रु. 8508.05 लाख (गत वर्ष 22483.62 लाख) की राशि वर्ष 2015-16 तक मूल्यांक के बराबर स्थायी संपत्ति से, को लाभ एवं हानि खाते में जमा की गई है।

I gh
pru t; I oky
e[; foRrh; vf/kdkjh

vud ph&2-3
vdk vkonu jkf'k
¼ - yk[k e½

vud ph&2-3-1

fooj.k	31 ekpZ 2016 rd 'kSk	31 ekpZ 2015 rd 'kSk
vdk vkonu eqk yfcr vkoð/u uxn ifrQy dsfy, ikflr	2,552.00	2,670.00
नगद प्रतिफल के अलावा प्राप्त किया	-	-
; kx	2,552.00	2,670.00

vud ph 2-3-2-

प्राप्त अंश आवेदन मुद्रा

Ø-	fooj.k	jkf'k ikflr fnukd	jkf'k
1	F-5-08/2015/13 fnukd 01/06/2015	6/25/2015	30,000,000.00
2	F-5-08/2015/13 fnukd 01/10/2015	10/7/2015	129,000,000.00
3	F-5-08/2015/13 fnukd 03/02/2016	2/6/2016	255,200,000.00
	; kx		414,200,000.00

I gh
pru t; l oky
e[; foRrh; vf/kdkjh

वृद्धि 2-4-1

वृद्धि 2-4-1
 निकाश/क निष्कर्ष; का
 : - यक/का

Ø-	fooj .k	1 vi &y 2015 rd 'kSk	o"lz ds nkjku of)	I ek; kst u	vxys o"lz i q% Hkqrku grq nS jkf' k	31 ekpZ 2016 rd 'kSk
अ. 1-	सुरक्षित fe; knh __.k एसबीआई foRrh; I &Fkku आरईसी पीएफसी हुडको	2,714.15 67,076.58 17,129.87 9,069.00	- 10,196.24 1,252.42 -	(193.41) (284.26) 4,691.38 0.00	433.56 7,005.90 2,863.44 1,452.00	2,087.18 69,982.67 20,210.23 7,617.00
	dy I g f{kr __.k	95,989.60	11,448.67	4,213.71	11,754.89	99,897.08
स. 1	वI g f{kr __.k fe; knh __.k foRrh; I &Fkku आरईसी-एमटीएल आरईसी-जेनरिक ऋण पीएफसी-जेनरिक ऋण अन्य संस्थान jkT; I jdkj }kj k __.k म.प्र. शासन-सतत ऋण म.प्र. शासन-एडीबी म.प्र. शासन-आरजीजीव्हीवाय योजना म.प्र. शासन-एडीबी जेनरिक ऋण म.प्र. शासन-एसटीएन/टीएसपी/एससीएसपी* म.प्र. शासन-से कार्यशील पूंजी ऋण*	- 32,083.33 10,210.52 85.11 1,117.14 860,190.61 82,178.84 6,434.35 2,250.76 13,152.32 28,595.42 -	- - - - 60,980.14 9,592.35 1,861.55 - 9,665.00 16,093.57 -	- - 0.00 (0.00) (383.34) - (8.37) (27.80) - - -	- 17,500.00 2,752.89 56.74 - 3,361.85 544.50 149.63 5,221.08 7,148.86 -	- 14,583.33 7,457.63 28.37 733.80 921,170.75 88,400.97 7,723.60 2,101.14 17,596.24 37,540.13 -
	dy vI g f{kr __.k	1,036,298.40	98,192.61	(419.50)	36,735.54	1,097,335.96
	dy nk?kbf/k __.k	1,132,287.99	109,641.28	3,794.20	48,490.44	1,197,233.04

I gh
 pr u t; I oky
 e[; foRrh; vf/kdkjh

e/; i n s k i w l {k s= fo | r forj .k dā u h fyfeVM] tcyi g

vud ph 2-4-3 I j f {kr __.k nh?kbf/k nsunkfj; ka % fu; e o 'krā

Ø-	i frhkr dh i z-fr	i qhkrku dh 'krā
I j f {kr __.k		
i)	एसबीआई-काउंटर गारंटी ऋण- पहले प्रभार द्वारा भविष्य की अचल परिसंपत्ति से सुरक्षित जिसे ऋण की 110 प्रतिशत बैंक एस्पोसर सीमा तक बनाया गया है और एसबीआई सिवनी संग्रह खाता के राजस्व खाते के एस्करो को रू. 20350.00 लाख)।	120 मासिक किश्तों में 31 जुलाई 2012 से प्रारंभ प्रतिदेय। अंतिम किस्त 30 जून 2022 में देय। ब्याज दर 13.05 प्रतिशत (गत वर्ष 14.45 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
ii)	हुडको- भविष्य की परिसंपत्तियां का दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित, जिस परियोजना लागत को हुडको द्वारा स्वीकृत किया गया है पहले प्रभार द्वारा भविष्य की अचल परिसंपत्ति से सुरक्षित जिसे ऋण की 100 प्रतिशत बैंक एस्पोसर सीमा तक बनाया गया है। (कुल प्रभाव राशि रू. 22,200 लाख)	54 तिमाही किश्तों में, फरवरी 2009 से प्रारंभ प्रतिदेय। अंतिम किस्त मई 2022 में देय। ब्याज दर 10.50 प्रतिशत (गत वर्ष 11.00 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
iii)	आरईसी-जेबीआईसी स्कीम राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि का 30 प्रतिशत की गारंटी और परियोजना ऋण से भविष्य की परिसंपत्तियां का दृष्टिबंधक किया है- 100 प्रतिशत मियादी ऋण द्वारा। (कुल प्रभाव राशि रू. 10722.15 लाख)।	10 समान किश्तों में 15 अक्टूबर 2013 से प्रारंभ प्रति देय। अंतिम किश्त 15 अक्टूबर 2022 में देय। ब्याज दर 12.25 प्रतिशत (गत वर्ष 9.55 से 13.00 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
iv)	आरईसी-आरएपीडीआरपी भाग-ब राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि का 120 प्रतिशत की गारंटी और परियोजना ऋण से भविष्य की परिसंपत्तियां का दृष्टिबंधक किया है- 100 प्रतिशत मियादी ऋण द्वारा। (कुल प्रभाव राशि रू. 49683 लाख)।	10 समान किश्तों में 15 अक्टूबर 2016 से प्रारंभ प्रति देय। अंतिम किश्त 15 मई 2027 में देय। ब्याज दर 11.00 प्रतिशत से 12.50 प्रतिशत (गत वर्ष 12.25 से 13.00 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
v)	आरईसी-फीडर सेप्रेसेशन - राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि का 120 प्रतिशत की गारंटी और परियोजना ऋण से भविष्य की परिसंपत्तियां का दृष्टिबंधक किया है- 100 प्रतिशत मियादी ऋण द्वारा। (कुल प्रभाव राशि रू. 83592.38 लाख)।	10 समान किश्तों में 15 जनवरी 2015 से प्रारंभ प्रति देय। अंतिम किश्त 15 जनवरी 2024 में देय। ब्याज दर 11.50 से 12.50 प्रतिशत (गत वर्ष 12.25 से 13.00 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
vi)	आरईसी-डीटीआर परियोजना ऋण से भविष्य की परिसंपत्तियां का दृष्टिबंधक किया है-100 प्रतिशत मियादी ऋण द्वारा। (कुल प्रभाव राशि रू. 6095.53 लाख)।	10 समान किश्तों में 15 सितम्बर 2017 से प्रारंभ प्रति देय। अंतिम किश्त 15 सितम्बर 2026 में देय। ब्याज दर 12.25 से 12.50 प्रतिशत (गत वर्ष 12.25 से 12.50 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
vii)	आरईसी-सीपीएफ एडीबी 2520 और 2732 योजना - राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि का 30 प्रतिशत की गारंटी और परियोजना ऋण से भविष्य की परिसंपत्तियां का दृष्टिबंधक किया है - 100 प्रतिशत मियादी ऋण द्वारा। (कुल प्रभाव राशि रू. 13558 लाख)।	10 समान किश्तों में 15 दिसम्बर 2018 से प्रारंभ प्रति देय। अंतिम किश्त 15 दिसम्बर 2027 में देय। ब्याज दर 12.25 प्रतिशत (गत वर्ष 12.25 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
viii)	पीएफसी - सीपीएफ एडीबी 3066 योजना - परियोजना ऋण से भविष्य की परिसंपत्तियां का दृष्टिबंधक किया है - 100 प्रतिशत मियादी ऋण द्वारा। (कुल प्रभाव राशि रू. 6433 लाख)।	40 समान किश्तों में 15 अक्टूबर 2017 से प्रारंभ प्रति देय। अंतिम किश्त 15 जुलाई 2027 में देय। ब्याज दर 12.75 प्रतिशत (गत वर्ष 12.75 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
ix)	पीएफसी - आरएडीआरपी स्कीम : भाग-अ पहले प्रभार द्वारा भविष्य की अचल परिसंपत्तियां से सुरक्षित जिसे ऋण की 100 प्रतिशत बैंक एस्पोसर तक बनाया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा भी गारंटी प्रदान कर ऋण को सुरक्षित किया गया है। (कुल प्रभाव राशि रू. 11569 लाख)।	भाग-अ 39 समान मासिक किश्तों में 15 जून 2015 से प्रारंभ प्रति देय। अंतिम किश्त 15 फरवरी 2019 में देय। ब्याज दर 9.00 प्रतिशत (गत वर्ष 9.00 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
	Hkx&c पहले प्रभार द्वारा भविष्य की अचल परिसंपत्तियां से सुरक्षित जिसे ऋण की 100 प्रतिशत बैंक एस्पोसर तक बनाया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा भी गारंटी प्रदान कर ऋण को सुरक्षित किया गया है। (कुल प्रभाव राशि रू. 16564 लाख)।	Hkx&c 150 समान किश्तों में 15 जून 2015 से प्रारंभ प्रति देय। अंतिम किश्त 15 जनवरी 2031 में देय। ब्याज दर 9.00 प्रतिशत (गत वर्ष 9.00 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
	LdMk- पहले प्रभार द्वारा भविष्य की अचल परिसंपत्तियां से सुरक्षित जिसे ऋण की 100 प्रतिशत बैंक एस्पोसर तक बनाया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा भी गारंटी प्रदान कर ऋण को सुरक्षित किया गया है। (कुल प्रभाव राशि रू. 1656 लाख)।	LdMk & 50 समान मासिक किश्तों में 15 मार्च 2016 से प्रारंभ प्रति देय/अंतिम किश्त 15 जनवरी 2021 में देय। ब्याज दर 9 प्रतिशत (गत वर्ष 9 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।

vI g f {kr __.k		
x)	आरईसी मध्यावधि ऋण राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि का 100 प्रतिशत की गारंटी	24 मासिक वार्षिकी शिंतों में 28 फरवरी 2016 से प्रारंभ प्रति देय/अंतिम किशत 31 जनवरी 2018 में देय। ब्याज दर 12.25 प्रतिशत (गत वर्ष निरंक) वर्ष के अंत में।
xi)	आरईसी अल्पावधि ऋण राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि का 100 प्रतिशत की गारंटी	6 मासिक वार्षिकी किशतों में 15 अगस्त 2016 से प्रारंभ प्रति देय/अंतिम किशत 15 दिसम्बर 2016 में देय। ब्याज दर 12 प्रतिशत (गत वर्ष निरंक) वर्ष के अंत में।
xii)	आरईसी अल्पावधि ऋण राज्य सरकार द्वारा ऋण की राशि का 100 प्रतिशत की गारंटी	6 मासिक वार्षिकी किशतों में 15 अगस्त 2016 से प्रारंभ प्रति देय/अंतिम किशत 15 दिसम्बर 2016 में देय। ब्याज दर 12 प्रतिशत (गत वर्ष निरंक) वर्ष के अंत में।
xiii)	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (एम.पी.एस.ई.बी.)	1. 150 मासिक किशतों में, 30 अप्रैल 2007 से प्रारंभ प्रतिदेय। अंतिम किस्त 30 सितंबर 2019 में देय। ब्याज दर 7.95 प्रतिशत (गत वर्ष 7.95 प्रतिशत) वर्ष के अंत में। 2. 105 मासिक किशतों में, 31 जनवरी 2011 से प्रारंभ प्रतदेय। अंतिम किस्त 30 सितंबर 2019 में देय। ब्याजदर 11.64 प्रतिशत (गत वर्ष 11.64 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
xiv)	पावर फाइनेंस कारपोरेशन (आरटीएल) नई दिल्ली	1. 40 तिमाही किशतों में, 15 जुलाई 2005 से प्रारंभ प्रतिदेय। अंतिम किस्त 15 अप्रैल 2015 में देय। ब्याजदर 12.75 प्रतिशत (गत वर्ष 12.75 प्रतिशत) वर्ष के अंत में। 2. 44 तिमाही किशतों में, 15 अक्टूबर 2006 से प्रारंभ प्रतिदेय। अंतिम किस्त 15 जुलाई 2017 में देय। ब्याज दर 12.75 प्रतिशत (गत वर्ष 12.75 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
xv)	म.प्र. शासन एडीबी – राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित	40 अर्धवार्षिकी किशतों में 15 जुलाई 2012 से प्रारंभ प्रति देय/अंतिम किशत 15 नवम्बर 2038 में देय। ब्याज दर 1 प्रतिशत (गत वर्ष 1 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
xvi)	आरईसी-आरजीजीवीवाई-राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित	5 वार्षिक मोरोटोरियन मध्यप्रदेश शासन द्वारा सिर्फ 50 प्रतिशत ऋण प्रदत्त 10 सामान्य वार्षिक किशतों में आदयगी ब्याज दर 5 प्रतिशत वार्षिक।
xvii)	सतत ऋण	भुगतान हेतु सूची उपलब्ध नहीं है। ब्याज का भुगतान वर्ष 2017-18 में प्रारंभ एसबीआई के ब्याज दर पर
xviii)	एसटीएन/टीएसपी/एससीएसपी	5 वार्षिक किशतों में, 8 मई 2015 से प्रारंभ प्रति देय। अंतिम किस्त 29 नवम्बर 2019 में देय। मध्यप्रदेश शासन से आदेश प्राप्ति पर ब्याज दर 16.50 प्रतिशत (गत वर्ष 16.50 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
xix)	कार्यशील पूंजी ऋण- राज्य सरकार से प्राप्त	5 वार्षिक किशतों में 13 मई 2015 से प्रारंभ प्रति देय। अंतिम किस्त 17 मार्च 2020 में देय। मध्यप्रदेश शासन से आदेश प्राप्ति पर ब्याज दर 14.50 प्रतिशत (गत वर्ष 14.50 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
xx)	मध्यप्रदेश शासन एडीबी-ईएपी-राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित	20 अर्धवार्षिकी किशतों में 31 मार्च 2006 से प्रारंभ प्रति देय/अंतिम किशत 31 मार्च 2025 में द्वारा सुरक्षित देय। ब्याज दर 10.50 प्रतिशत (गत वर्ष 10.50 प्रतिशत) वर्ष के अंत में।
xxi)	अन्य	प्रारंभिक शेष, पूर्ववर्ती एम.पी.एस.ई.बी. से प्राप्त राशि है। पुर्नभुगतान उल्लेखित तिथि पर, पूर्ववर्ती एम.पी.ई.बी. द्वारा आपूर्तिकर्ता को जारी किये गये प्रविष्टियों के आधार पर ब्याज सहित जिसमें संबंधित प्रविष्टियां उल्लेखित ब्याज दर अनुसार है।

I gh@&
pru t; l oky
e¶; foRrh; vf/kckjh

vuq ph I a&2-5
vU; nh?kbf/k nunkfj; ka
(₹ yk[k eq)

fooj.k	31 ekpZ 2016 rd 'kSk jkf'k	31 ekpZ 2015 rd 'kSk jkf'k
(a) उपभोक्ता से जमा सुरक्षा (ब्याज सहित)	44,252.01	43,390.62
; ksc	44,252.01	43,390.62

vuq ph I a&2-6
y?kq vof/k __.k
(₹ yk[k eq)

fooj.k	31 ekpZ 2016 rd 'kSk jkf'k	31 ekpZ 2015 rd 'kSk jkf'k
(a) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	116,681.40	63,051.63
(b) व्यय हेतु प्रावधान	-	8,377.00
; ksc	116,681.40	71,428.63

vuq ph I a&2-7
y?kq vof/k __.k
(₹ yk[k eq)

fooj.k	31 ekpZ 2016 rd 'kSk jkf'k	31 ekpZ 2015 rd 'kSk jkf'k
(a) आरईसी लघु अवधि ऋण	15,000.00	-
(b) पीएफसी लघु अवधि ऋण	20,000.00	-
; ksc	35,000.00	-

I gh
pru t; I oky
eq; foRrh; vf/kdkjh

वृत्त 2-8-1 0; ki kj Hkqrku

fooj.k	31 ekpl 2016 rd 'kšk jkf'k	31 ekpl 2015 rd 'kšk jkf'k
0; ki kj Hkqrku , ei hi h, el h, y dks ns jkf'k विद्युत क्रय हेतु देय	41,687.94	68,915.01
, ei hi hVh l h, y dks ns jkf'k चक्रण शुल्क हेतु देय एसएलडीसी हेतु देय	39,755.26 0.02	43,670.17 0.02
, ei hi h, el h, y dks 'kq) ns jkf'k एमपीपीएमसीएल को देय* 12,106.96		
घटाएं : एमपीपीएमसीएल को अग्रिम 7,547.32		
एमपीपीएमसीएल को कुल शुद्ध देय राशि	4,559.64	37,945.73
vrjkt; h; ns jkf'k सीएसपीडीसीएल से विद्युत क्रय की देय राशि	13.03	14.90
यूपीएसईबी से विद्युत क्रय की देय राशि	334.17	334.17
; ksc	86,350.05	150,879.99

* vrj bdkbl ds [kkrk dW 1/310199% ds 'kšk : - 1/547-47% yk[k 1/kr o"l 4862-27 yk[k 1/2 l ek; ktr fd, g

fooj.k	31 ekpl 2016 dks 'kšk jkf'k	31 ekpl 2015 dks 'kšk jkf'k
(a) C; kt iks) r yfdu __.k ij ns ugha	7,346.13	11,444.59
(b) C; kt iks) r , oa __.k ij ns प्रदायक/ठेकेदारों के लिए देयताएं	36,477.49	7,019.90
समूह कंपनी को देय		
एमपीपीटीसीएल को देय	3,236.88	2,589.06
एमपीएमकेव्हीव्हीसीएल भोपाल को देय	648.98	578.88
एमपीपीकेव्हीव्हीसीएल इंदौर को देय	579.22	(46.27)
ओ एंड एम आपूर्ति/वर्क्स के लिये दायित्व	4,032.31	4,188.87
कर्मचारी संबंधित देयतायें	6,948.31	6,053.81
देयतायें स्टाम्प से	-	25.67
स्क्रैप की बिक्री हेतु पार्टियों से जमा	787.68	771.20
विद्युत शुल्क / अन्य लेवी सरकार को देय	3,273.92	2,516.03
अन्य दायित्व *#	6,400.31	7,917.41
म.प्र. शासन को देय	1,507.28	1,846.02
प्रदायक/ठेकेदारों से जमा	11,627.82	13,038.59
प्रदायक/ठेकेदारों से जमा (बी.जी. नगदीकरण)	13,013.39	17,642.91
सेवा कनेक्शन और निर्माण के लिए जमा	5,813.95	4,428.85
अस्थायी उपभोक्ताओं से कनेक्शन और अन्य जमा राशि	16,470.15	16,097.30
; ksc	118,163.84	96,112.82

* vrj bdkbl ds [kkrk 1/310176 , oa 310191% ds 'kšk : - 1/232-18% yk[k 1/kr o"l : - 4265-46 yk[k 1/2 l ek; ktr fd, g

वृत्त 2-9-3 यत्त वत्त दसत्त द्ध वत्त वत्त वत्त वत्त

वृत्त	वत्त	1 वत्त 2015	वत्त दसत्त वत्त (वत्त)	वत्त वत्त	वत्त दसत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	31 वत्त 2016 वत्त वत्त
1	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त					
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	433.56	433.56	193.41	626.97	433.56
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	4,346.80	7,005.90	284.21	4,631.01	7,005.90
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	1,758.86	2,863.44	725.72	2,484.58	2,863.44
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	1,452.00	1,452.00	-	1,452.00	1,452.00
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	7,991.22	11,754.89	1,203.34	9,194.57	11,754.89
B	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त					
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त					
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	2,916.67	17,500.00	-	2,916.67	17,500.00
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	2,636.24	2,752.89	(0.00)	2,636.24	2,752.89
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	142.27	56.74	0.00	142.27	56.74
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	-	-	-	-	-
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	2,603.82	3,361.85	8.37	2,612.18	3,361.85
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	398.50	544.50	27.80	426.30	544.50
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	149.63	149.63	-	149.63	149.63
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	3,288.08	5,221.08	-	3,288.08	5,221.08
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	7,148.86	7,148.86	-	7,148.86	7,148.86
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	19,284.05	36,735.54	36.16	19,320.22	36,735.54
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त					
	वत्त वत्त वत्त वत्त वत्त	27,275.27	48,490.44	1,239.51	28,514.78	48,490.44

वत्त
वत्त वत्त वत्त
वत्त वत्त वत्त वत्त

Ø-	fooj.k	1 višy 2015 dks 'kšk	o"kd snkš ku of)	l ek; kst u	o"kd snkš ku i q% Hkqr ku	31 ekpž 2016 dks 'kšk
v 1	, d o"kd snkš ku oki l h l jf{kr __.k fe; knh __.k एसबीआई foRr i kš"kr l ΔFkk vkj bž h i h, Ql h gM/dks	(9.87)	626.97	-	617.10	-
			4,631.01	-	4,618.06	12.95
			2,484.58	-	-	2,484.58
			1,452.00	-	1,452.00	-
	dy l jf{kr __.k	(9.87)	9,194.57	-	6,687.17	2,497.53
c 1	vl jf{kr __.k ckM@ __.k i= - एसएलआर बांड - पीपी बांड	123.71 3,185.95	- -	- -	- 20.00	123.71 3,165.95
2	fe; knh __.k foRr i kš"kr l ΔFkk vkj bž h&, eVh, y vkj bž h i h, Ql h vl; l ΔFkk jkt; l jdkj l s __.k म.प्र. शासन-एडीबी म.प्र. शासन-आरजीजीव्हीवाय स्कीम म.प्र. शासन-एडीबी म.प्र. शासन-एसटीएन / टीएसपी / एससीएसपी स्कीम ऋण म.प्र. शासन-कार्यशील पूंजी ऋण	- - - - (492.71) 4,911.39 1,191.82 1,111.16 - -	- 2,916.67 2,636.24 142.27 - 2,612.18 426.30 149.63 3,288.08 7,148.86	- - - 2,417.81 - - - - -	- 2,916.18 2,636.24 142.27 - - - - -	- 0.49 - - - 1,925.10 - 7,523.57 1,618.11 1,260.78 3,288.08 7,148.86
	dy vl jf{kr __.k	10,031.30	19,320.22	2,417.81	5,714.69	26,054.64
	dy i qHkqr ku vfrnš	10,021.43	28,514.78	2,417.81	12,401.86	28,552.17
v- 1	nš C; kt vlg miktr l jf{kr __.k fe; knh __.k एसबीआई से ऋण foRr i kš"kr l ΔFkk vkj bž h i h, Ql h gM/dks	39.41	395.76	(74.82)	405.13	30.05
			9,175.04		6,764.36	2,335.86
			1,802.25		140.79	1,661.47
			1,076.13		1,076.13	-
	dy l jf{kr __.k	39.41	12,449.18	(74.82)	8,386.40	4,027.38
c- 1	vl jf{kr __.k ckM@ __.k i= - एसएलआर बांड - पीपी बांड	89.07 3,727.55	- 2,067.31	- -	- 47.93	89.07 5,746.94
2	fe; knh __.k foRr i kš"kr l ΔFkk vkj bž h&, eVh, y vkj bž h i h, Ql h vl; l ΔFkk jkt; l jdkj l s __.k म.प्र. शासन-एडीबी म.प्र. शासन-आरजीजीव्हीवाय स्कीम म.प्र. शासन-एडीबी म.प्र. शासन-एसटीएन / टीएसपी / एससीएसपी स्कीम ऋण म.प्र. शासन-कार्यशील पूंजी ऋण	- - - - 1,403.93 4,066.27 1,480.02 1,771.86 - -	- 4,284.56 1,109.38 18.04 - 1,634.51 442.93 267.12 3,107.16 5,608.94	- - - (10.71) - - - - -	- 4,284.56 1,109.38 18.04 - - - - -	- - - - 1,393.22 5,700.78 1,922.95 2,038.98 3,107.16 5,608.94
	dy vl jf{kr __.k	12,538.70	18,539.97	(10.71)	5,459.92	25,608.05
	dy C; kt vfrnš	12,578.11	30,989.15	(85.53)	13,846.32	29,635.42
	l eng ; kx	49,874.82	107,994.37	3,571.79	54,762.96	106,678.03

l gh
pru t; l oky
eđ; foRr; vř/kdkjh

(75)

	LFkk; h l á fRr; ka	l dy [kM			l fpr ákl			'kD [kM	
		1 višy 2015 dks 'kSk jkf' k	o"z ds nšku l ek; kstu@ fol; kl	31 ekpZ 2016 dks 'kSk jkf' k	1 višy 2016 dks 'kSk jkf' k	o"z ds nšku ákl	l ek; kstu	31 ekpZ 2016 dks 'kSk jkf' k	1 višy 2015 dks 'kSk jkf' k
A	ewrZ i fjl á fRr; ka								
	भूमि	170.74	(0.62)	170.12	-		-	170.74	170.12
	भूमि पटल द्वारा	57.71	0.00	57.71	30.26	1.93	32.19	27.45	25.52
	भवन	5,045.86	0.12	5,045.99	1579.44	155.08	(13.90)	3,466.42	3,325.37
	अन्य	1,240.07	0.78	1,240.85	1068.34	14.35	(40.92)	171.73	199.08
	संयंत्र और उपकरण	207,265.69	1,360.58	208,626.27	83819.31	8,345.56	(2,115.50)	123,446.38	118,576.90
	लाइन केबल नेटवर्क	289,686.59	8,812.42	298,499.02	108269.79	12,213.02	(5,097.62)	181,416.80	183,113.83
	वाहन	298.22	0.62	298.84	269.04	0.00	(0.08)	29.18	29.88
	कार्यालय उपकरण	6,170.97	387.09	6,558.06	2908.70	420.73	397.84	3,262.27	2,830.79
	l eg; kx	509,935.86	10,560.99	520,496.86	197,944.89	21,150.66	(6,870.19)	311,990.97	308,271.49
	आरजीजीव्हीवाय संपत्ति	93,498.70	2,902.48	96,401.18	15,529.40	4,959.27	-	77,969.31	75,912.52
	mi ; kx	603,434.57	13,463.47	616,898.04	213,474.28	26,109.93	(6,870.19)	389,960.28	384,184.01
B	veurZ l á fRr; ka	-	-	-	-	-	-	-	-
	mi ; kx	-	-	-	-	-	-	-	-
C	i m hxr dk; Z i xfr	61,118.53	50,438.51	111,557.03	-	-	-	61,118.53	111,557.03
	mi ; kx	61,118.53	50,438.51	111,557.03	-	-	-	61,118.53	111,557.03
D	fodkl k/khu veurZ i fjl á fRr; ka	2,499.06	565.64	3,064.69	-	-	-	2,499.06	3,064.69
	mi ; kx	2,499.06	565.64	3,064.69	-	-	-	2,499.06	3,064.69
	egk; kx (14-15)	667,052.15	64,467.61	731,519.76	213,474.28	26,109.93	(6,870.19)	453,577.86	498,805.74
	i mZ o"z(13-14)	536,162.40	105,829.17	667,052.15	177,561.44	35,912.84	-	383,661.53	453,577.86

I gh
pru t; l oky
e[; foRrh; vf/kdjh

विवरण	31 अप्रैल 2016	31 अप्रैल 2015
(A) निवेश		
(a) निवेश सम्पत्ति	-	-
(b) समता अंश उपकरणों में निवेश	-	-
(c) अधिमान अंश में निवेश	-	-
(d) सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	-	-
(e) ऋण पत्र या बांड में निवेश	-	-
(f) म्यूचुअल फंड में निवेश	-	-
(g) साझेदारी फर्म में निवेश	-	-
(h) अन्य गैर-चालू निवेश (प्रकृति निर्दिष्ट)	-	-
; कुल (A)	-	-
(B) विलंबित निवेश		
(a) निवेश सम्पत्ति		
(b) समता अंश उपकरणों में निवेश	460.65	460.65
(c) अधिमान अंश में निवेश	-	-
(d) सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश	-	-
(e) ऋण पत्र या बांड में निवेश	-	-
(f) म्यूचुअल फंड में निवेश	-	-
(g) साझेदारी फर्म में निवेश	-	-
(h) अन्य गैर-चालू निवेश (प्रकृति निर्दिष्ट)	-	-
; कुल (B)	460.65	460.65
कुल (A + B)	460.65	460.65
घटाएं - निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	(460.65)	(460.65)
; कुल	-	-

विवरण	31 अप्रैल 2016 (₹ करोड़)	31 अप्रैल 2015 (₹ करोड़)
विलंबित निवेश		
सुरक्षित, अच्छी समझी गई**	47,962.43	62,791.55
सुरक्षित, अच्छी समझी गई आरजीजीवीवाय**	18,897.81	
असुरक्षित, अच्छी समझी गई**	(786.51)	(5,412.97)
कुल विलंबित निवेश	2,075.83	1,652.75
विलंबित निवेश		
1. सुरक्षित, अच्छी समझी गई	17.47	23.27
2. असुरक्षित, संदिग्ध समझी गई	-	38.40
घटाएं : प्रावधान		(38.40)
कुल विलंबित निवेश	68,167.03	59,054.61

** अंतर-इकाई के खाता (310160, 3103) के शेष रु. 7916.10 लाख (गत वर्ष 20503.22 लाख) समायोजित किए हैं।

1. ग
 प्रत्यक्ष; प्रत्यक्ष
 (₹ करोड़)

vuq ph 2-14-1

vuq ph 2-14
vU; xj pkywi fj l i fRr; ka
₹ yk[k eq

fooj.k	31 ekpZ 2016 dks 'kSk	31 ekpZ 2015 dks 'kSk
v. vij 'kSkku 0; ; परिशोधन की गारंटी फीस की शेष राशि आय उपार्जित लेकिन देय नहीं सुरक्षित, अच्छी समझी गई	1,262.76 184.30	1,425.09 224.71
; kx	1,447.07	1,649.80

vuq ph 2-14-2

i) xkj Vh 'kjd ekfI d vk/kj ij ikj 'kSk/kr fd; k tk jgk g\$ i gys24 efgukadsfy; sint h 0; ; [kkrseaLFkkukarfjr fd; k x; k vlg bl ds
ckn LFkfxr xkj h 'kjd jktLo 0; ; [kkrseafy; k x; k gSA

I gh
pru t; l oky
eq; foRrh; vf/kdkjh

fooj.k	31 ekpZ 2016 dls 'kšk jkf'k	31 ekpZ 2015 dls 'kšk jkf'k
(a) ईक्वीटी उपकरणों में निवेश		
(b) समता अंश उपकरणों में निवेश		
(c) सरकार या न्यास प्रतिभूतियों में निवेश		
(d) ऋण पत्र या बांड में निवेश		
(e) म्युचुअल फंड में निवेश		
(f) साझेदारी फर्म में निवेश		
(g) अन्य गैर-चालू निवेश (प्रकृति निर्दिष्ट)	-	
कोर्ट के साथ जमा	-	
योग (A)	-	-
घटाएं : निवेश के मूल्य में हास के लिए प्रावधान		
	; kx	-

vud ph 2-16-1

fooj.k	31 ekpZ 2016 dls 'kšk jkf'k	31 ekpZ 2015 dls 'kšk jkf'k
Ldšk vřš Liš I Z %ykr jkf'k ij eš; kdu½		
निर्माण भंडार में सामग्री स्कंध	26,085.35	18,511.02
अन्य भंडार में सामग्री स्कंध	11,179.44	7,934.59
सामग्री निरीक्षण लंबित	1,955.48	562.48
मार्गस्थ सामग्री (पूजी और ओ एंड एम)*	224.07	(18.67)
अन्य सामग्री खाता	(2,527.62)	(2,940.20)
अधिक्य स्कंध लंबित जांच	215.97	215.97
अल्प स्कंध लंबित जांच	127.19	127.19
	; kx	
	37,259.90	24,392.39

vud ph 2-16-2

i) स्वीकारित लेखांकन नीति के तहत कंपनी ने गैर-चलित एवं अप्रचलित स्टॉक का 31.03.2016 तक कोई प्रावधान नहीं किया है। अप्रचलित भंडार मंदों में लाभ/हानि की गणना वास्तविक बिक्री पर की गई है।

ii) * अंतर इकाई के खाता (310231, 310101) के शेष रु. 225.12 लाख (गत वर्ष रु. 18.67 लाख) समायोजित किए हैं।

I gh
pru t; I oky
eš; forrh; vf/kdkjh

fooj.k	31 ekpZ 2016 dks 'lSk jk'k	31 ekpZ 2015 dks 'lSk jk'k
0; ki kj i kflr; ka देय तिथि से छह माह से कम Åtkl foØ; &fuEu nkc ¼ y-Vh½ असुरक्षित, अच्छी समझी गई घटाएं : प्रावधान	277,376.08 (59,974.76)	258,050.31 (57,483.15)
Åtkl foØ; &mPp nkc ¼ pVh½ असुरक्षित अच्छी समझी गई घटाएं : प्रावधान	37,326.32 (14,933.83)	31,340.44 (6,739.07)
असुरक्षित, अच्छी समझी गई	3,623.56	1,135.79
Ijdkj l s i k l r v u p i r r असुरक्षित, अच्छी समझी गई देय तिथि से छह माहसे अधिक	17,432.05	31,708.60
Ijdkj l s v l ; i k f l r ; k a असुरक्षित, अच्छी समझी गई	166.63	166.63
Åtkl foØ; v u p i r r & M h v k b & k j b M L V h t असुरक्षित, अच्छी समझी गई	72.32	72.32
g f j t u c l r h , l V h , y t h V h @ M h v k b & k j @ v k j b l h असुरक्षित, अच्छी समझी गई	32.62	32.62
Åtkl foØ; & v l ; असुरक्षित, अच्छी समझी गई	30,589.53	35,124.77
L F k ; h f c ; k f t r l s n s j k ' k असुरक्षित अच्छी समझी गई घटाएं : प्रावधान	21,426.21 (21,426.21)	34,841.60 (34,841.60)
v l r j k l ; h ; Åtkl foØ; असुरक्षित, अच्छी समझी गई	6.14	6.14
fofo/k i k f l r ; k a असुरक्षित, अच्छी समझी गई	3,176.10	3,170.34
; k s x	294,892.76	296,585.73

I gh
pru t ; l oky
e q ; fo k r h ; v f / k d k j h

vud ph 2-18
uxn vkj ckl 'k'k
(₹ yk[k e])

vud ph 2-18-1

fooj.k	31 ekpl 2016 dks 'k'k jk'k	31 ekpl 2015 dks 'k'k jk'k
a. बैंकों में शेष चालू बैंक खाते में	45,175.38	37,063.85
b. अन्य मार्गस्थ सम्प्रेषित रकम*	561.82	5,206.29
c. संग्रह भ्रांति	-	0.61
	45,737.20	42,270.74

* अंतर इकाई के खाता (310131/143/230) के शेष रु. (2511.74 लाख) (गत वर्ष रु. 2430.22 लाख) समायोजित किए गए हैं।

vud ph 2-19
y?kqvof/k __.k , oa vfxe
(₹ yk[k e])

fooj.k	31 ekpl 2016 dks 'k'k jk'k	31 ekpl 2015 dks 'k'k jk'k
(a) कर्मचारियों को अग्रिम सुरक्षित, अच्छी समझी गई (ब्याज रहित)	122.55	108.18
(b) आरई समिति को देय ऋण असुरक्षित, संदिग्ध समझी गई	444.91	406.51
घटाएं : प्रावधान	(444.91)	(406.51)
	122.55	108.18

I gh
pru t; l oky
ed; foRrh; vf/kdkjh

vuq ph 2-20-1

fooj.k	31 ekpl2016 rd 'ksk jkf'k	31 ekpl2015 rd 'ksk jkf'k
अदेयक राजस्व के लिये प्रावधान असुरक्षित, अच्छी समझी गई	13,377.70	12,327.54
व्यापारिक देनदार – व्यापारिक खाता असुरक्षित, अच्छी समझी गई	2,036.21	400.04
अर्जित आय सवं देय नहीं असुरक्षित, अशोध्य समझी गई आय (आरई सोसाइटी ऋण) घटाएं :- प्रावधान	116.69 (116.69)	116.69 (116.69)
अर्जित आय एवं देय नहीं सुरक्षित अच्छी समझी गई (कर्मचारी ऋण)	33.09	33.42
कर्मचारियों को अग्रिम सुरक्षित, अच्छी समझी गई	2.18	3.06
कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि सुरक्षित, अच्छी समझी गई	7.28	21.72
अन्य प्राप्तियां असुरक्षित, अच्छी समझी गई	4,133.62	3,572.65
बंदी उपकर असुरक्षित, अच्छी समझी गई	818.71	818.71
समूह कंपनियों से प्राप्त असुरक्षित अच्छी समझी गई	227.99	241.84
एमपीपीजीसीएल से प्राप्त		
अग्रिम आयकर/अनुषंदा लाभ कर सुरक्षित, अच्छी समझी गई	724.57	518.13
अपरिशोधन व्यय प्रतिभूति शुल्क के अपलेखन का शेष	493.88	485.83
	21,855.23	18,422.93

vuq ph 2-20-2

i) निम्न दाब उपभोक्ताओं के अप्राप्य राजस्व का 11 दिनों के लिए रू. 13,377.70 लाख (गत वर्ष रू. 12327.54) राशि का प्रावधान किया गया है।

I gh
pru t; l oky
e[; foRrh; vf/kdkjh

Note 2.21.1

fooj.k	31 ekpZ 2016 rd 'kšk jkf'k	31 ekpZ 2015 rd 'kšk jkf'k
(i) vkdfLed nş rk, a		
(a) कंपनी के विरुद्ध दावे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं है।		
(b) प्रतिभूतियां		
(c) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	42,762.85	63,968.90
	42,762.85	63,968.90
(ii) ifrc) rk, a		
(a) शेष पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध और जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है।		
(b) अंशों और अन्य निवेश पर अनामत्रित देयता आंशिक रूप से भुगतान		
(c) vU; çfrc) rk, a½ç—fr fufnZV½		
	-	-
	42,762.85	63,968.90

vudj pph 2-21-2

<p>i) वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं है रू. निरंक (गत वर्ष निरंक)</p> <p>ii) अनुबंध की अनुमानित राशि पूंजी खाते में प्रदान नहीं गई है चालू वित्त वर्ष के दौरान राशि का आकलन अनुबंध की प्रगतिशील होने के कारण नहीं किया जा सका है।</p>
--

I gh
pru t; I oky
e[; forrh; vf/kdkjh

vud ph 2-22-1

fooj.k	31 ekpZ2016 rd 'k\$ jkf'k	31 ekpZ2015 rd 'k\$ jkf'k
fo q foØ; l sjktLo miHkØrk l s fo q foØ; l sjktLo %fuEu ncko miHkØrk		
घरेलू प्रकाश और पंखा	164,441.08	156,118.22
गैर घरेलू प्रकाश और पंखा	58,473.08	46,548.55
औद्योगिक	21,426.18	18,506.54
सार्वजनिक प्रकाश एवं जल कार्य	17,230.31	16,002.95
कृषि	105,357.04	88,732.35
; k\$	366,927.69	325,908.61
fo q fodz; l sjktLo %npp ncko miHkØrk		
संकरषण रेलवे	29,388.75	42,034.02
कोलमाइन्स	175.50	-
औद्योगिक विद्युत	197,655.03	196,528.88
मौसमी	1,605.25	-
वृहद आपूर्ति	15,782.06	10,543.22
; k\$	244,606.59	249,106.12
dy jktLo	611,534.28	575,014.73
मीटर किराया	3,669.58	3,703.64
विद्युत चोरी/अनुसूचित कार्यों के लिए वसूली	569.49	1,082.49
चक्रण/यूआई शुल्क वसूली	30.45	20.20
उपभोक्ताओं से विविध शुल्क	4,819.75	1,352.95
; k\$	9,089.26	6,159.28
fo q foØ; l s dy jktLo	620,623.55	581,174.01
जोड़ें : विद्युत शुल्क वसूली (कोन्ट्रा)	52,976.60	51,468.34
; k\$	52,976.60	51,468.34
fo q fodz; l s l dy jktLo	673,600.14	632,642.35
घटाएं : विद्युत कर देय (कोन्ट्रा)	52,976.60	51,468.34
ii.) jkT; l jdkj l snj vupku vk; l s राज्य सरकार से प्रशुल्क अनुदान आय	95,367.47	87,021.72
fo q foØ; l s 'k) jktLo	715,991.02	668,195.73

vud ph 2-22-2

i) विद्युत विक्रय से राजस्व की प्रति यूनिट दर वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए लागू टैरिफ आदेश प्रति रूप में एमपीईआरसी के द्वारा निर्धारित दरों पर आधारित है।

l gh
pru t; l oky
e[; foRrh; vf/kdkjh

vud ph 2-23
vU; vk;
(₹ yk[k eš)

fooj.k	31 ekpZ2016 rd 'kSk jkf'k	31 ekpZ2015 rd 'kSk jkf'k
कर्मचारी ऋणों और अग्रिम पर ब्याज	-	-
ब्याज आय	25.56	910.78
उपभोक्ताओं से विलंब भुगतान शुल्क	14,765.41	11,263.35
आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम से ब्याज	1,156.56	548.64
अन्य आय व्यापार से	7,383.35	2,791.77
अन्य विविध प्राप्तियां	3,219.94	3,701.99
कर्मचारियों से वसूली	29.06	4.07
आस्थगित आय (उपभोक्ता अंशदान)	8,508.05	22,483.61
egk; kx	35,087.94	41,704.22

vud ph 2-24
fo | r Ø; vkj pØ.k 'kjd
(₹ yk[k eš)

vud ph 2-24-1

fooj.k	31 ekpZ 2016 rd 'kSk jkf'k	31 ekpZ 2015 rd 'kSk jkf'k
एमपीपीएमसीएल से विद्युत क्रय	692,417.93	591,751.78
यूआई/डीएसएम शुल्क	(13,282.83)	(3,352.12)
प्रक्रियाशील विद्युत प्रभार	(646.93)	(356.52)
अन्य से विद्युत क्रय	252.29	307.98
dy fo r Ø;	678,740.46	588,351.12
चक्रण शुल्क	81,381.33	75,254.73
एसएलडीसी शुल्क	289.63	232.77
dy pØ.k 'kjd	81,670.96	75,487.50
egk; kx	760,411.42	663,838.62

vud ph 2-24-2

i) एमपीपीएमसीएल से विद्युत क्रय को एमपीपीएमसीएल द्वारा बिल्ल राशि दर्शाई गई है।

I gh
pru t; l oky
eq; foRrh; vf/kdkjh

vuq ph 2-25-1

fooj.k	31 ekpZ 2016 rd 'kSk jkf' k	31 ekpZ 2015 rd 'kSk jkf' k
वेतन	29,848.16	30,070.47
महंगाई भत्ता	32,333.09	30,189.20
अन्य भत्ता	3,025.49	2,371.59
बोनस	28.32	22.91
mi ; kx	65,235.06	62,654.17
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	104.23	132.03
अर्जित अवकाश नगदीकरण	2,954.63	1,312.21
कर्मचारी क्षतिपूर्ति भुगतान	55.91	47.65
कर्मचारियों को मुफ्त बिजली	642.13	622.32
वेतन संशोधन बकाया	21.86	2,978.38
SUB TOTAL	3,778.76	5,092.59
कर्मचारी कल्याण व्यय	10.71	36.20
कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय	78.90	398.95
अंतिम लाभ (पीएफ) मण्डल अंशदान	1,193.18	396.94
अंतिम लाभ (एफपीएस) मण्डल अंशदान	10.31	43.86
अंतिम लाभ उपदान	3,036.67	2,945.01
अंतिम लाभ अवकाश नगदीकरण	472.37	458.11
भविष्य निधि जांच और अंकेक्षण शुल्क	37.04	54.28
पेंशन भुगतान प्रावधान	13,330.62	12,928.30
अंतिम लाभ (जीटीआईएस)	7.41	33.17
अंतिम लाभ (दवद जीटीआईएस)	246.33	307.96
अंतिम लाभ (एससीएलआईएस)	4.57	
अंतिम लाभ – अन्य	2.81	2.21
एनपीएस को नियोक्ता अंशदान	275.01	449.60
mi ; kx	18,705.92	18,054.57
l eeg ; kx	87,719.74	85,801.33
पूँजीगत व्यय	(3,602.14)	(3,398.89)
egk ; kx	84,117.59	82,402.43

vuq ph 2-25-2

i) 1 जून 2005 से पहले की अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं ग्रेच्युटी का दायित्व एम.पी. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। कंपनी ने पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण के लिए 21.73 प्रतिशत तथा 4.95 प्रतिशत तथा 0.77 प्रतिशत क्रमशः (गत वर्ष दर 21.73 प्रतिशत तथा 4.95 प्रतिशत तथा 0.77 प्रतिशत) दर से बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 19.02.2010 जो अभ्यास में पहले से संगत है के द्वारा प्रावधान किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में सीमांत लाभ के लिए रु. 16839.66 लाख (गत वर्ष रु. 163331.42 लाख) राशि प्रदान की गई है।

I gh
pru t ; l oky
e[; foRrh ; vf/kdkjh

vudj pph 2-26-1

	fooj.k	31 ekpZ 2016 rd 'kSk jkf'k	31 ekpZ 2015 rd 'kSk jkf'k
	__ .kka i j C; kt nj %		
	परियोजना ऋण		
	I jgf(k.k __.k		
	jkt; I jdkj I s		
V-			
1			
2	forrh; I hFkk @ cfd		
i	आरईसी-एलटीएल	9,177.14	7,903.04
ii	पीएफसी	2,280.13	1,619.58
iii	हुडको	1,058.71	1,243.52
iv	एसबीआई	395.76	493.35
	dy I jgf(kr __.k	12,911.74	11,259.49
C-			
1	vl jgf(kr __.k		
	jkt; I jdkj I s		
i	म.प्र. शासन-एडीबी	1,634.51	1,231.08
ii	म.प्र. शासन-आरजीजीव्हीवाय स्कीम	448.74	1,604.19
iii	म.प्र. शासन-एडीबी-जेनेरिक ऋण	267.24	267.10
iv	म.प्र. शासन-एसटीएन/टीएसपी/एससीएसपी स्कीम ऋण	3,155.38	1,965.06
2	forrh; I hFkk @ cfd		
i	बांड-एसएलआर बांड	-	-
ii	ऋण पत्र - पीपी बांड	2,067.31	25.08
iii	आरईसी	1,109.38	1,357.82
iv	पीएफसी	14.30	50.28
v	अन्य संस्था	274.87	-
	dy vl jgf(kr __.k	8,971.73	6,500.62
	dy C; kt & ifj; kstuk __.k	21,883.47	17,760.11
	dk; Zkhy imth __.k		
i	आरईसी-एमटीएल	4,284.56	725.89
ii	आरईसी-एसटीएल	468.18	-
iii	पीएफसी-एसटीएल	308.77	-
iv	म.प्र. शासन-कार्यशील पूंजी ऋण	6,173.49	2,117.94
	dy C; kt & dk; Zkhy imth __.k	11,235.00	2,843.83
i	उपभोक्ता से जमा पर ब्याज	5,683.79	5,387.98
ii	समय पर भुगतान में उच्च दाब उपभोक्ताओं को छूट	130.80	-
	mi ; kx	5,814.58	5,387.98
i	कर्मचारियों से जमा पर ब्याज		
ii	बैंक कमीशन और अन्य प्रभार	465.40	581.51
iii	गारंटी शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क	729.13	1,032.59
iv	विलंबित भुगतान के लिए दण्ड प्रभार	178.34	0.07
	mi ; kx	1,372.86	1,614.17
	I eg ; kx	40,305.92	27,606.09
	पूंजी में परिणत व्यय	4,470.00	2,540.00
	egk; kx	35,835.92	25,066.09

I gh
pru t; I oky
ed; forrh; vf/kdkjh

vud ph 2-27
eW; äkl , oai fj 'ksk ku 0; ;
(₹ yk[k e)

fi i h, j	31 ekpZ 2016 rd 'ksk jkf'k	31 ekpZ 2015 rd 'ksk jkf'k
ह्रास	26,109.93	35,912.84
egk; kx	26,109.93	35,912.84

अनुसूची 2.27.2

- i) ह्रास की गणना कंपनी के पुस्तकों में, वर्ष के दौरान जो संपत्ति पूंजीगत की गई है के आधार पर की है और वर्ष के आरंभ में ह्रास की गणना कंपनी द्वारा पहले से सुसंगत नीति के अनुपालन द्वारा की है।
ii) ह्रास की दर सी.ई.आर.सी. द्वारा निर्धारित दर से ली गई है।

vud ph 2-28
vU; 0; ;
(₹ yk[k e)

vud ph 2-28-1

fooj .k	31 ekpZ 2016 rd 'ksk jkf'k	31 ekpZ 2015 rd 'ksk jkf'k
v- l kekl; vkj izkl u 0; ; किराया, कर और दर	518.06	379.48
दूरभाष शुल्क, डाक, तार और टेलक्स शुल्क	38.79	-
Books & Periodicals and fees subscription	72.84	-
Telephone and Broad-band Charges	358.23	563.04
Legal & Professional Charges	707.38	879.03
Conveyance & Travelling Expenses	3,047.76	3,306.12
विज्ञापन मुद्रण और अन्य	561.72	579.55
विद्युत प्रभार (कार्यालय)	3,642.32	2,597.89
वाणिज्यिक, सेवा संबंधी और ठेका कार्य	4,191.30	4,055.49
मापक वाचन व्यय	1,835.02	1,576.17
संचालक बैठक शुल्क	0.40	0.34
प्रोत्साहन/पुरस्कार अन्य विविध व्यय	13.20	567.42
अन्य व्यय	545.03	88.11
mi ; kx	15,532.06	14,592.63
व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क भुगतान	0.23	2.53
अंकेक्षण शुल्क	23.24	16.21
mi ; kx	23.47	18.74
पूंजी में परिणत व्यय	234.06	566.92
mi ; kx	234.06	566.92
l eW ; kx	15,789.60	15,178.29

fooj.k	31 ekpZ 2016 rd 'kSk jkf'k	31 ekpZ 2015 rd 'kSk jkf'k
c- ejEer vlg j [kj [kko		
संयंत्र और मशीनरी	2,532.72	3,429.10
भवन	1,045.79	1,471.65
सिविल कार्य	1,301.40	228.38
लाइनर, केबिल, नेटवर्क आदि	2,412.23	2,825.11
वाहन	77.47	85.78
उपस्कर और फिक्सचर	4.94	2.19
कार्यालय उपकरण	37.81	95.41
मरम्मत और रखरखाव शुल्क की अन्य जमा	476.33	-
उप योग	7,888.70	8,137.62
पूँजीगत व्यय	(175.35)	(1,537.66)
समूह योग	7,713.34	6,599.96
l - vi yf [kr v'kks'; vlg l fnX/k __.k dsfy; si ko/kku		
v'kks'; vlg l fnX/k __.k vi yf [kr		
एलटी/एचटी उपभोक्ताओं के लिए	-	926.56
v'kks'; vlg l fnX/k __.k i ko/kku		
एलटी/एचटी उपभोक्ताओं के लिए	14,960.19	18,396.90
आरई को-आपरेटिव सोसायटी के लिए प्रावधान	-	1,022.25
समूह योग		
n- fofo/k 0; ; @ fofo/k ?kkVk	14,960.19	20,345.71
क्षतियों और चोटों के लिये क्षतिपूर्ति	42.52	93.47
l eeg ; ksx	42.52	93.47
egk; ksx	38,505.64	42,217.43

vuq ph 2-28-2

i) वैधानिक लेखा परीक्षक में शामिल पारिश्रमिक :-

fooj.k	pkyno"l %kf'k : i ; seZ	xr o"l %kf'k : i ; seZ
वैधानिक अंकेक्षण और व्यय विवरण (सेवा कर छोड़कर)	400,000.00	400,000.00
फुटकर खर्च (सेवा कर छोड़कर)	100,000.00	100,000.00

l gh
pru t; l oky
e[; foRrh; vf/kckjh

vud ph 2-29
vl k; en
(₹ yk[k eq)

fooj.k	31 ekpl 2016 rd 'kšk jkf'k	31 ekpl 2015 rd 'kšk jkf'k
a) i ml vof/k l ek; kstu		
i) i ml vof/k vk; @ i kflr %		
उपभोक्ताओं से पूर्व अवधि संबंधी प्राप्तियां	-	-
पूर्व अवधि की ब्याज आय	-	-
पूर्व अवधि के ह्रास के लिये अधिक प्रावधान	(6,870.19)	-
पूर्व अवधि के ब्याज और वित्तीय शुल्क के लिये अधिक प्रावधान	(130.02)	2,388.84
पूर्व अवधि के अन्य अधिक प्रावधान		9,029.66
पूर्व अवधि संबंधी अन्य आय	(8,760.46)	763.96
; ksc	(15,760.67)	12,182.46
ii) i ml vof/k 0; ; @ gkfu; ka %		
पूर्व वर्षों में ऊर्जा क्रय के लघु प्रावधान		-
पूर्व वर्षों के संचालन व्यय		223.56
पूर्व वर्षों संबंधी कर्मचारी लागत	(117.83)	-
पूर्व वर्षों से संबंधित ब्याज और अन्य वित्तीय शुल्क		-
पूर्व वर्षों में प्रशासनिक व्यय		-
पूर्व वर्षों के सामग्री संबंधी व्यय		-
; ksc	(117.83)	223.56
i ml vof/k l ek; kstu ¼ kq) ½	(15,878.50)	(11,958.90)

vud ph 2-30
vl k/kkj .k en
(₹ yk[k eq)

vud ph 2-30-1

fooj.k	31 ekpl 2016 rd 'kšk jkf'k	31 ekpl 2015 rd 'kšk jkf'k
एसएलआर बॉण्ड दायित्व पर ब्याज		-
पीपी बॉण्ड दायित्व पर ब्याज		-
एसएलआर बॉण्ड दायित्व का मूलधन		-
पीपी बॉण्ड दायित्व का मूलधन		-
असाधारण जमा (आग, तूफान और बाढ़ आदि से हानि के विरुद्ध अनुदान को जोड़ते हुए)		
चक्रण शुल्क का दायित्व एम.पी.पी.टी.सी.एल. की ओर अपलेखित	(16,331.69)	(12,075.38)
आरजीजीव्हीवाय योजना के तहत आरईसी से जमा पर ब्याज		654.97
अंतिम लाभ जी.टी.आई.एस. 40 प्रतिशत अंशदान		-
अन्य अंतिम लाभ		-
कार्यशील पूंजी के लिये ऋण पर ब्याज		-
मध्यप्रदेश सरकार से कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज		-
; ksc	(16,331.69)	(11,420.41)

I gh
pru t; l oky
eq; foRrh; vf/kdkjh

2.32.12 लेखांकन मानक-18 I cī/kr i {kdj I cī/kr i {kdj

अ. I cī/kr i {kdj

- अ सूत्रधारी कंपनी : म.प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड
 ब अन्य कंपनी :
 (1) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
 (2) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
 स प्रमुख प्रबंधन कार्मिक -

Øa	I pkyd dk uke	i nuke	fnukd I s	fnukd rd
1	श्री सुखवीर सिंह, भा.प्र.से..	प्रबंध निदेशक	01.04.2015	20.09.2015
2	श्री मुकेश चंद गुप्ता, भा.प्र.से.,	प्रबंध संचालक	21.09.2015	31.03.2016
3	श्री ए.के. पांडे, पूर्णकालिक संचालक	संचालक वाणिज्य	19.06.2015	31.03.2016
4	श्री एस.के. यादव, पूर्णकालिक संचालक	संचालक तकनीकी	22.06.2015	31.03.2016
5	श्रीमती स्वप्नजा ओखदे	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2015	31.05.2015
6	श्री चैतन्य जायसवाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.06.2015	31.03.2016
7	डॉ. ललित मोहन शर्मा	कम्पनी सचिव	01.04.2015	31.03.2016

ब) संबंधित पक्षकारों के साथ किये गये व्यवहार इस प्रकार हैं -

dā	fooj.k	/kij .k dā uh		I w/kij dā uh		ds, e-i h	
		2015&16	2014&15	2015&16	2014&15	2015&16	2014&15
1	अंश	4142.00	7529.60	-	-	-	-
2	विद्युत कय	692417.93	591751.78	-	-	-	-
3	वेतन	-	-	-	-	75.50	41.85

2.32.13 :- 31 मार्च 2016 पर कंपनी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम , 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं की देय राशियां हैं उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं :-

dā	fooj.k	2015-16 ¼ - yk[k ež	2014-15 ¼ - yk[k ež
अ.	आपूर्तिकर्ताओं के कारण एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत मूल राशि	निरक	निरक
ब.	उपर्युक्त राशि पर एमएसएमईडी के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को अर्जित और देय ब्याज, अदत्त	निरक	निरक
स.	वर्ष के दौरान निर्धारित दिनांक से परे आपूर्तिकर्ताओं को किया गया भुगतान (ब्याज के अलावा)	निरक	निरक
द.	आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया ब्याज (धारा 16 के अलावा)	निरक	निरक
ई.	आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत दिया गया ब्याज (धारा 16)	निरक	निरक
फ.	आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पहले से दिये गए भुगतान पर बकाया और देय ब्याज	निरक	निरक
ग.	आपूर्तिकर्ताओं को एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष के अंत में अर्जित और शेष अदत्त	निरक	निरक

gekjs I a/xu i Fkd i fronu ds vuđ kj
 okLrs es fuiñnz , .M dā
 pkVM vdkmā/v/1

I gh
 I h,- inhi dēkj xtrk
 Hkxhntj
 , e-Ø- %070855
 , Q-vkj-, u- Ø- %000379c
 LFku %tciyij
 fnukd %27 uoEcj 2016

okLrs e/; insk iml {ks- fo|q forj.k dāuh fyfeVM
 okLrs vkj I pkyd eMy dh vkj I s

I gh
 vepšk pn xtrkž
 icik I pkyd
 I gh
 vpru t; I okyž
 eđ; foRrh; vf/kdkjh

I gh
 vks vijftrk vks-kž
 I pkyd
 I gh
 vMw yfyre eky 'kežž
 dāuh I po

वृत्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथा के अंतर्गत तथा लेखांकन के अर्जित आधारपर तैयार किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार और मान्य लेखा मानकों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, निम्नलिखित मदों को छोड़कर जो कि नगद आधार पर विवेकशीलता के सिद्धांत पर आधारित है :-

01 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत प्रथा के अंतर्गत तथा लेखांकन के अर्जित आधारपर तैयार किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार और मान्य लेखा मानकों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, निम्नलिखित मदों को छोड़कर जो कि नगद आधार पर विवेकशीलता के सिद्धांत पर आधारित है :-

- * ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं की जमा प्रतिभूति पर ब्याज
- * बिल-बिजली की चोरी हेतु
- * तरल क्षतिपूर्ति और वारंटी के दावे
- * स्कैप की बिक्री से प्राप्तियां
- * स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं से कोई बकाया
- * चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय
- * दुर्घटना क्षतिपूर्ति
- * अचल संपत्ति के लिए सामग्री की खरीद दामों में वृद्धि और राजस्व भंडार
- * पर्यवेक्षण से आय / परामर्श प्रभार
- * ब्याज चालू खाते पर अर्जित

02- LFKkbZ I Ei fRr; ka %

- 2.1 सभी स्थाई संपत्तियों को उनके ऐतिहासिक मूल्य में से ह्रास घटाकर दर्शाया जाता है। ऐतिहासिक मूल्य में संपत्ति का क्रय मूल्य तथा कोई अन्य लागू लागत जो उसे कार्यस्थल पर लाने तथा उनको इच्छित उपयोग की स्थिति तक पहुँचाने में हुई हो, शामिल हैं, सभी उपरिव्यय लागतों को स्थायी संपत्तियों में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में सम्पत्ति इच्छित उपयोग के लिये तैयार हुई हो।
- 2.2 उपयोगी संपत्तियों, जमा कार्यों/लागत सहित ठेके की दशा में, जहां ठेकेदारों के बिलों का पूर्ण समायोजन अभी तक प्रभावी किया जाना है। पूंजीकरण अस्थायी आधार पर अंतिम निपटारा वाले वर्ष में आवश्यक समायोजनों के विषयांतर्गत किया जाता है।
- 2.3 स्थाई संपत्तियों के विक्रय की सभी लाभ या हानियों को लाभ-हानि खाते में जमा/प्रभारित किया जाता है।
- 2.4 पूंजी कलपुर्जे पूंजीगत संपत्तियों, की तरह ही समझे जाते हैं। संपत्तियों के उपयोग किए जाने के पूर्व क्रय किए पूंजी कलपुर्जे मूल संपत्ति के साथ ही पूंजीगत किए जाते हैं। संपत्तियों के उपयोग किए जाने के पश्चात् क्रय किए गए पूंजी कलपुर्जे क्रय पर पूंजीगत किए जाते हैं और उनमें ह्रास मूल संपत्ति की शेष उपयोगी अवधि पर लगाया जाता है।
- 2.5 एम.पी.पी.टी.सी.एल. के स्वामित्व वाले कुछ 33 के.व्ही. वे सब स्टेशन को कंपनी द्वारा वित्त पोषित है। उपयोग और पूरा होने का प्रमाण-पत्र एम.पी.पी.टी.सी.एल. से प्राप्त होने के पश्चात् वे भुगतान के समय CWIP के लिए जिम्मेदार है। CWIP सम्पत्ति में स्थानांतरित कर रहे जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है और इसे अचल संपत्ति की अनुसूची में अलग आइटम में दर्शाया जाएगा।
- 2.6 अभूर्त संपत्तियां जिनमें कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल हैं, यदि कोई हो तो, का प्रकटीकरण अधिग्रहण में से संचित परिशोधन घटाकर दर्शाया गया है।
- 2.7 अभूर्त संपत्ति, संपत्ति का उपयोग जीवन की अवधि में प्रत्युसर्जन/परिशोधन है, लेकिन जहां संपत्ति का उपयोग जीवन 10 साल से अधिक है, इस परिशोधन के लिये 10 साल माना जाता है।

03- iwth dk; / ea ixfr %

- 3.1 आपूर्ति सह स्थापना के ठेकों के संबंध में स्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य तथा स्वीकृति को पूंजी कार्य में प्रगति माना जाता है।
- 3.2 निर्माण से पूर्व आकस्मिक व्यय, पहचान के लिये प्रारंभिक परियोजना व्यय, परियोजना के सर्वेक्षण/व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन को वृद्धि के आधार पर पूंजी कार्य में प्रगति में बांटा जाता है। यदि परियोजना रद्द की जाती है फिर भी इन व्ययों को लाभ हानि खाते में प्रभारी किया जाता है।
- 3.3 निगम कार्यालय व्यय जो कि एक संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण एवं वृत्तों/कार्यालयों के व्यय अर्थात् संधारण के साथ ही पूंजीगत कार्यों तथा भंडारगृह व्ययों को अवधि लागत की तरह उस वित्तीय वर्ष में प्रभारित किया जाता है जिनसे वे संबंधित हैं।
- 3.4 निर्माणी वृत्तों एवं कार्यालयों से संबंधित व्यय जो कि निर्माण गतिविधियों में सहायक है, को पूर्णतः पूंजीकृत करते हुए पूंजीगत संपत्तियों में शामिल किया जाता है।
- 3.5 धारी लागत योग्यता लागत के कारण उनके निर्माण के दौरान भारत औसत ब्याज दर के आधार पर पूंजीकृत है।
- 3.6 ठेकों में वृद्धि के रूप में मूल्य परिवर्तन के दावों को स्वीकृत आधार पर उपाजित किया जाता है।
- 3.7 जमा काम या लागत अतिरिक्त ठेके संबंधित कार्यालय से प्राप्त लेखा जोखा के आधार पर जिम्मेदार है।

04- âkl

- 4.1 अचल संपत्तियों पर केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदान की दरों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है, जिससे धारा 178

विद्युत अधिनियम 2003 तहत केंद्र सरकार के परिपत्र क्रमुंक L-7/145(160)-2008-CERC दिनांक 19 जनवरी, 2009 द्वारा सूचित किया।

4.2 संपत्तियों पर प्रभारित ह्रास उस वर्ष के पश्चात् के वर्ष तक होगा, जिसमें जिस वर्ष में ह्रास पूर्व वर्षों में प्रभारित ह्रास की राशि संपत्ति की लागत के बराबर या 90 प्रतिशत से अधिक हो जाये, अथवा कंपनी द्वारा संपत्ति का स्थायी रूप से उपयोग बंद कर दिया जाए, जो पहले हो।

4.3 पट्टे वाली भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि पर किया जाता है।

4.4 अचल संपत्तियों में वृद्धि वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों की रिटायरमेंट पर मूल्यह्रास की गणना तिमाही आधार पर की जाती है।

05- .k ykxr %

5.1 एक विशिष्ट अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण/आधुनिकीकरण हेतु लिए गए ऋण लागतों को पूंजीगत किया जाता है एवं संबंधित संपत्ति की लागत में जोड़ा जाता है।

5.2 सामान्य रूप से लिए गए ऋण जो कि किसी भी संपत्ति से विशेष रूप से संबंधित न हों, को ऐसी संपत्ति के भाग के रूप में औसत भारिक विधि के अनुसार प्रभारित किया जाता है। अन्य ऋण लागतों को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

06- fofu; ks %

6.1 दीर्घकालीन विनियोगों को, लागत में से प्रावधान घटाकर, ऐसे विनियोगों के मूल्य में अस्थायी के अलावा किसी कमी के लिए आगे लाया जाता है।

6.2 चालू विनियोगों की लागत के निम्न स्तर एवं उचित मूल्य पर दर्शाया जाता है।

07- Ldák %

7.1 स्टोर्स के स्कंध, पुर्जों एवं खुले औजारों का मूल्यांकन लागत के निम्न स्तर/शुद्ध वसूली मूल्य पर किया जाता है। लागत में सामग्री की लागत, मजदूरी एवं अन्य उपरिव्यय, स्कंध को वर्तमान स्थल एवं स्थिति में लाने हेतु उपयोग किए गए, शामिल हैं। लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर पहले आना पहले जाना पद्धति से किया जाता है।

7.2 अनुपयोगी/क्षतिग्रस्त स्टोर्स एवं पुर्जों को चिन्हित कर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अपलिखित किया जाता है।

7.3 स्टोर आकस्मिक व्यय :- स्टोर आकस्मिक व्ययों को सामग्री / कार्य में प्रभारित कर लाभ-हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है।

7.4 वर्ष की समाप्ति पर हस्तगत स्कंधों का विलय संचालन एवं संधारण स्कंध और पूंजी स्कंध में 70:30 के अनुपात में विभाजित किया जाता है।

08- fonsh enk ea yunu %

8.1 विदेशी मुद्राओं में नामित लेनदेन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनियम दर पर दर्ज है।

8.2 स्थाई सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्राप्त विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में दायित्व की दशा में, वर्ष के अंत में विनियम दरों में परिवर्तन के कारण दायित्व में परिवर्तन को स्थाई सम्पत्तियों में अधिग्रहण की लागत से समायोजित किया जाता है।

8.3 विदेशी मुद्रा ऋण अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए, के संबंध में देनदारियों के मामले में, दायित्व के बदलाव के वर्ष के अंत में विनियम दरों के बदलाव से उत्पन्न लागत अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में समायोजित की जाती है।

09- l skfuofRr ykik %

9.1 कंपनी के भविष्य निधि एवं सामूहिक अवधि बीमा योजना / बचल सह जीवन बीमा योजना में अंशदान को लाभ-हानि में प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि एवं ग्रेच्युटी को बीमाकिक मूल्यांकन आधार पर निर्धारित बीमाकिक आधार पर लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

10- jktLo ekL; rk %

10.1 उपभोक्ताओं को विक्रित विद्युत से प्राप्त राजस्व का लेखांकन उपभोक्ताओं की बिलिंग के आधार पर किया जाता है। एम.पी.ई. भारती द्वारा निर्धारित शुल्क सूची के आधार पर बिलिंग की जाती है।

10.2 जमा कार्यों में परामर्श/ठेका सेवाएं देने से प्राप्त आय को, निष्पादित कार्य की वास्तविक प्रगति/तकनीकी आकलन के आधार पर लेखांकित किया जाता है, बशर्ते किन्हीं ठेकों में अन्यथा उल्लिखित न हों।

10.3 उपभोक्ताओं से विलंबित भुगतान सरचार्ज केवल स्थायी वियोग के समय तक उपचय के आधार पर आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

11- iwhRr 0; ; ka , oa i wL vof/k ds enka dk yskkdu %

11.1 चालू वर्ष के पूर्व की अवधि के खर्चों को उनकी भौतिकता (Materiality) के आधार पर चालू वर्ष में पूर्वदत्त व्यय मद में अभिलिखित किया जाता है।

11.2 पूर्व अवधि के खर्चों एवं असाधारण लेनदेन को, लेखा मानक-5 की आवश्यकता के अनुसार लाभ-हानि खाते में पृथक रूप से दर्शाया जाता है।

11.3 व्यापार की प्रकृति को देखते हुए खर्च के लिए प्रावधान अगले साल चालू वर्ष और पिछले एक साल से संबंधित में प्राप्त बिल/चालान के आधार पर किया गया है।

12- vupku , oa vdknku %

12.1 राजस्व अनुदानों को आय खाते में लेखांकित किया जाता है।

12.2 पूंजी अनुदान और उपभोक्ता अंशदान को पूंजी प्राप्तियों के तौर पर लिया जाता है और उन्हें पूंजी संचित लेखा में प्रभारित किया जाता है।

12.3 कंपनी को प्राप्त पूंजी अनुदान और उपभोक्ता अंशदान, परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन में, लाभ-हानि खाते में परिशोधित कर दिया है।

12.4 एम.पी.ई.आर.सी. के विनियमन से RG 31(I)(II) of 2010 दिनांक 23.04.2010 के अनुसार प्राप्त पूंजी अनुदान, साल की शुरुआत में बकाया पूंजीगत परिसंपत्तियों को दस वर्षों में परिशोधित किया जाएगा।

13- [k.M ifronu %&

13.1 कंपनी ने वायुओं के वितरण के व्यापार और फुटकर आपूर्ति व्यापार को पृथक खण्डों के रूप में मान्य किया है। फिर भी प्रबंधन भौगोलिक जोखिमों पर आधारित किसी भी विभाजन को नहीं मानता।

14- vkLFkxr jktLo 0; ; %&

14.1 आस्थगित राजस्व व्यय समय की अवधि के दौरान जो व्यय का लाभ कंपनी को उपार्जित होने का अनुान में परिशोधित किया गया है।

15- iko/kku ,oa vkdfLed nkf;Ro %&

15.1 रु. एक करोड़ से अधिक के आकस्मिक दायित्व, वित्तीय विवरण के साथ प्रकटीकरण किए गए।

15.2 प्रावधानों की मान्यता तब होती है जब पूर्व की घटनाओं के परिणामस्वरूप कंपनी के समक्ष वर्तमान में कानूनी अथवा निर्माण संबंधी दायित्व हों, जिनके लिए यह संभावित है कि दायित्वों के व्यवस्थापन हेतु वित्तीय लाभों के बहिर्गमन की आवश्यकता हो और दायित्वों की मात्रा का एक विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

15.3 संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान :- कंपनी के प्रबंधन द्वारा साल के अंत में बकाया देनदार पर निर्दिष्ट प्रतिशत पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने का फैसला किया गया है जो बिजली की बिक्री हेतु उच्च दाब और निम्न दाब उपभोक्ताओं को दोनों श्रेणी के लिए है। अशोध्य और संदिग्ध ऋण हेतु आवश्यक प्रावधान निम्न है :-

01. स्थायी विच्छेदित उपभोक्ता (PDC) में शामिल एचटी या एलटी उपभोक्ता जो अकाउंट कोड 23.5 में प्रदर्शित है को खातों की पुस्तकों में पूर्ण रूप से दर्शाया है।

02. निम्न दाब उपभोक्ता हेतु (PDC वर्ग को छोड़कर) वर्ग को छोड़कर वर्ष के अंत में देनदार पर 25 प्रतिशत के बराबर का प्रावधान किया है जिसमें राज्य सरकार के देनदार और बिजली की बिक्री के लिए एक महीने की मांग शामिल नहीं है।

03. उच्च दाब उपभोक्ता हेतु (PDC वर्ग को छोड़कर) देनदार जो तीन से अधिक पर 50 प्रतिशत की राशि के बराबर प्रावधान किया है। ऐसे देनदार जो एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम हैं पर 25 प्रतिशत की राशि के बराबर प्रावधान किया है।

16- I Ei fRr {kh.krk %&

तुलन पत्र की प्रत्येक तिथि को कंपनी संपत्ति एवं संपत्तियों के समूह में किसी भी संभावित क्षीणता के संबंध में समीक्षा करती है। क्षीण होने की दशा में संभावित क्षीणता वहन राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक होने की सीमा तक प्रदान की है।

17- vk; ij dj %&

17.1 सुसंगत कर की दरों एवं कर कानून के अनुरूप चालू कर का निर्धारण कर योग्य आय की राशि पर किया जाता है।

17.2 चालू वित्त वर्ष के लिये न्यूनतम वैकल्पिक कर, वर्तमान वित्त वर्ष में सुसंगत कर दरों एवं अधिनियमों के अनुपालन में किया जाता है।

17.3 आस्थगित कर परिसंपत्ति समय मतभेद से उत्पन्न होने वाली सीमा तक मान्यता प्राप्त है जहां टोस सबूत द्वारा समर्थित आभासी निश्चित है कि संपत्ति का उपार्जन भविष्य कर योग्य लाभ से किया जाएगा।

18. प्रति शेयर आय :- बेसिक शुद्ध समेकित लाभ या हानि को विभाजित करके साल के अंशधारकों के कारण वर्ष के दौरान बकाया अंशभारित औसत संख्या से गणना की गई है। गणना के प्रयोजन के लिये प्रति शेयर कम की गई आमदनी वर्ष की शुद्ध समेकित लाभ या अंशधारकों / शेयरधारकों और वर्ष के दौरान बकाया के शेयरों की भांति औसत संख्या के लिये सभी हानि वर्ष के संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिये समायोजित कर रहे हैं।

i kBdka grq foRrh; uhfr; ka ij fVli .kh %&

कंपनी का गठन जुलाई, 2012 में हुआ। किंतु, म.प्र. राज्य में विद्युत क्षेत्रों के सुधारों के द्वारा वाणिज्यिक कामकाज 1 जून 2005 से प्रारंभ हुआ। कंपनी ने अपने वाणिज्यिक कामकाज का प्रारंभ, म.प्र. शासन के अधिसूचना क्रमांक G.O. 3679/FRS/18/13/2002 दिनांक 31 मई, 2005, के अनुसार 01 जून 2005 से किया।

एमपीएसईबी के लेखे पूर्व में निर्धारित सिद्धांतों एवं नीतियों पर आधारित हैं और इनकी घोषणा विद्युत आपूर्ति के वार्षिक लेखा अधिनियम, 1985 (ESAA, 1985) के अंतर्गत की गई है। इन नीतियों एवं सिद्धांतों को कंपनी के चालू वर्ष के कामकाज हेतु भी जारी रखा गया है, संभव है कि इस सीमा तक प्रारंभिक तुलन पत्र में दर्शाए गए आंकड़े और कंपनी के वर्तमान वर्ष के कुछ लेनदेन लेखा मानकों के अनुरूप न हों, जिनका उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में है। इस परिवर्तन के दौर में कंपनी विद्यमान लेखा नीतियों के उत्तरोत्तर उत्थान और सुधार की प्रक्रिया में है ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में संदर्भित लेखा मानकों के साथ चल सके।

gekjs l yXU i fkd ifronu ds vuq kj
okLrs es fuihnz , .M da
pkVM vdlmà/4/

okLrs e/; i nsk i mZ {ks= fo | r forj.k dā uh fyfeVM
okLrs vjg l pkyd eMly dh vjg l s

I gh
I h,- inhi dēkj xqrk
Hkxhnkj
,e-Ø- % 070855
,Q-vkj-,u- Ø- % 000379c
LFku % tcyij
fnukd % 27 uoEj 2016

I gh
%epšk pn xqrk%
i cdk l pkyd

I gh
%pru t; l oky%
e[; foRrh; vf/kdjh

I gh
%is vijftrk vks-k%
l pkyd

I gh
%Mw yfyr ekgu 'kek%
dā uh l fpo